मैनुअल–1

(राज्य निर्वाचन आयोग की विशिष्टयां–कृत्य और कर्तव्य)

विशिष्टियां:– संविधान में किये गये 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। उक्त संस्थाओं के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराये जाने हेतु भारत का संविधान के 'अनुच्छेद–243ट में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्राविधान है। पंचायतों एवं नागर निकायों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयुक्त में निहित है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्ते और पदावधि **(परिशिष्ट संख्या–1)** राज्यपाल द्वारा अवधारित होंगी। परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा। जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चन्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तो में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराये जाएंगे, जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गये कृत्यों के लिए आवश्यक हों। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की स्थापना **दिनांक 30 जुलाई, 2001** को की गयी।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल

क्र. सं.	नाम	अवधि		शासन की अधिसूचना संख्या व दिनांक
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5
1.	श्री दुर्गेश जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	30.06.2001	16.01.2005	संख्या–287 / व.एवं.ग्रा.वि.पं.राज शाखा / 2001 दिनांक 30.06.2001
2.	श्री आर.के. वर्मा (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	16.01.2005	03.04.2008	संख्या–61–पं0 / XII / 05 / 2004–05 दिनांक 15.01.2005
3.	श्री बिपिन चन्द्र चंदोला (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.04.2008	17.09.2010	संख्या–169 / XII / 08 / 92(01)08 दिनांक 03.04.2008
4.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	18.09.2010	15.08.2013	संख्या–718 (ii)XII / 10–92(01)08टी0सी0–1 दिनांक 16.09.2010
5.	श्री सुबर्द्धन (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.09.2013	18.06.2018	संख्या–2136 / XII / 13(06) दिनांक 04.09.2013
6.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	11.07.2018	10.07.2024	संख्या–913 / XII(I) / 2018 / 84(06) / 2013 दिनांक 09.07.2018 संख्या–118334 / 2023 दिनांक 28.04.2023
7.	श्री सुशील कुमार	29.08.2024	कार्यरत	संख्या–235843/XII(I) / 2024 / E-51961 दिनांक 29.08.2024

उत्तरांचल शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग
संख्या–558–(10)/पं0ग्रा0अभि0अ0/2002
देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पनुर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूल तथा उपांतर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू हैं;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन, 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 की उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अधीन लागू रहेगा:–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
2. यह तत्कल प्रभाव से लागू होगा।
3. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

संजीव चोपड़ा,
सचिव

संख्या: 558–(10)/पंचायतीराज अनुभाग/2002 दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त को गजट में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
अपर सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित संविधान के अनुच्छे 243–ट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति और सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

अध्याय एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्ते) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएं— जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से हैं,

(ख) 'आयुक्त' का तात्पर्य आयोग के आयुक्त से हैं,

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) से हैं,

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से हैं,

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से हैं,

अध्याय दो
नियुक्ति

3. आयुक्त की नियुक्ति— आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह पहले से सरकारी सेवा में हैं, तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने उस सेवा से त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो जिसमें वह सेवारत था।

4. पदावधि— आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु किसी आयुक्त द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा।

5. अर्हताए और पात्रता— किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो उसने जिला मजिस्ट्रेट या मण्डल आयुक्त का पद अवश्यक धृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद धृत किया हो।

अध्याय तीन
वेतन भत्ते

6. वेतन और भत्ते— (1) आयुक्त के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो और उसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय तो उसे यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह या तो पेंशन की कुल धनराशि ऋण अन्तिम आहरित वेतन के सिद्धांत पर अपना वेतन और भत्ते या 8000 रूपये प्रतिमास वेतन और भत्ते, जो अनुमन्य हो, आहरित करें।

(3) आयुक्त को किराया मुक्त आवास की सुविधा होगी और यदि ऐसा आवास उपलब्ध न हो तो वह सरकार द्वारा अपने समूह 'क' के कर्मचारियों के संबंध में समय–समय पर निर्धारित दरों मकान किराया भत्ते का हकदार होगा:

परंतु किराया मुक्त आवास की सुविधान तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक आयुक्त इस रूप में अपना पद धारण करेंगे और ऐसे पद पर न रह जाने के एक मास की अवधि के भीतर यह आवास को खाली करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय चार
प्रकीर्ण

7. **अवकाश**–आयुक्त ऐसे समस्त अवकाश के हकदार होंगे जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य हैं।

8. **पेंशन**–आयुक्त के अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पैतृक विभाग में लागू नियमों या विनियमों के अधीन उसे अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ का हक होगा।

9. **चिकित्सा सुविधांए**–आयुक्त को ऐसी चिकित्सा सुविधा का हक होगा जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों को अनुमन्य हैं।

10. **अन्य विषयों का विनियमन**–ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों आयुक्त राज्य के कार्य–कलाप के संबंध में सेवारत समूह 'क' के सरकारी सेवकों पर सामान्यतया तत्समय लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(6)

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 605/XII/2012/97 (00)/2005

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग देहरादून दिनांक 15 जून, 2012

विषय– राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराने के सद्उद्देश्य से शासनादेश संख्या 246पं0/अ0नि0आ0शा0 एवं पंचायतीराज/2001 दिनांक 30 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या 352 पं0/स0रा0नि0आ0शा0/2001 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग में सफल कार्य संचालन हेतु मुख्यालय में कार्य की अधिकता एवं त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नगर स्थानीय निकायों व जिला योजना समितियों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन आदि कार्य कराये जाने के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग के ढाँचे को पुनर्गठित करने एवं उत्तराखण्ड सचिवालय के समकक्ष पदों के समान पदनाम परिवर्तित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के विभागीय ढाँचे में निम्नांकित पदों के सृजन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) की पुनर्गठन संरचना

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान रू0	स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	80,000 नियत	01	—
2.	सचिव	37400–67000+8900	01	—
3.	उपायुक्त	37400–67000+8900	01	—
4.	संयुक्त सचिव	37400–67000+8700	01	—
5.	उप सचिव	15600–39100+7600	01	राज्य सरकार के समान विभागों के कार्मिक से प्रतिनियुक्ति पर भरा जायेगा
6.	उप सचिव (लेखा)	15600–39100+7600	01	वित्त लेखा संवर्ग से भरा जायेगा
7.	अनु सचिव	15600–39100+6600	01	अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
8.	सहायक आयुक्त	15600–39100+5400	02	01 पद पदोन्नति से एवं 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा
9.	अनुभाग अधिकारी	9300–34800+4600	03	—
10.	निजी सचिव	9300–34800+4600	02	—
11.	समीक्षा अधिकारी	9300–34800+4600	06	—

1	2	3	4	5
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	9300—34800+4600	01	—
13.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300—34800+4200	01	बाह्य स्रोत से
14.	वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव	9300—34800+4600	03	—
15.	सहायक समीक्षा अधिकारी	9300—34800+4200	03	—
16.	टंकक / डाटा इन्ट्री आपरेटर	5200—20200+1900	04	—
17.	वाहन चालक	5200—20200+1900	02	बाह्य स्रोत से
18.	अर्दली / चपरासी / चौकीदार / स्वच्छक	5200—20200+1800	10	बाह्य स्रोत से
19.	स्वच्छक	5200—20200+1800	01	बाह्य स्रोत से
	योग		45	

2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक—8 पर उल्लिखित सहायक आयुक्त के पदों में से 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा तथा 01 पद सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक—2515—अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम—00—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—00—06—राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय आदि) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 601 / (1P)/XXVII—4 / 2010, दिनांक 13 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अरुण कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

हिन्दी—राजपत्र, दिनांक 28—7—2012, भाग—1 में प्रकाशित।
(प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—)
पी०एस०यू० (आर०ई०) 86 निर्वाचन / 679—1—8—2012—100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

(8)

(8)

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग-1
संख्या- /XII/2013/92(06)/2005,टीसी-I/2013
देहरादून: दिनांक: 10 अक्टूबर,2013

कार्यालय-आदेश

शासनादेश संख्या-685/XII/2012/92(06)/2005, दिनांक 15 जून,2012 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की स्वीकृत ढाँचे को पुनर्गठन किया गया था, के क्रमांक-3 पर उल्लिखित उपायुक्त, वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8900 पे बैण्ड-4 पर सम्यक् विचारोपरान्त इस प्रतिबन्ध के साथ संशोधित किया जा रहा है कि, उपायुक्त पद वेतन बैण्ड-3, वेतनमान रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 7600, सहायक आयुक्त के पद से निर्धारित प्रक्रियानुसार पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2- यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्ते यथावत लागू रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-879/(NP) XXVII-4/2010, दिनांक 01-10-2013 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या-2337/XII/2013/92(06)/2005,टीसी-I/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
3. महालेखाकार, ओबराय भवन माजरा रोड देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ।
6. प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जे0एल0शर्मा)
अनु सचिव

संख्या :– 605 /IV(1)/2013–26 (NV)/2008

प्रेषक,

एम०एच०खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2013

विषयः राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित पदों को स्थाई किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–776/9–1–96–25 ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1996 के अनुक्रम में अपने पत्र संख्या–801/रा.नि.आ.–1/05/2001 दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 05 फरवरी, 1996 के माध्यम से पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के समय–समय पर होने वाले निर्वाचन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में अस्थाई रूप से निम्नानुसार पदों का सृजन किया गया:–

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	1	9300–34800+4200
2.	वरिष्ठ सहायक	2	5200–20200+2800
3.	कनिष्ठ सहायक	2	5200–20200+2000
4.	चपरासी/चौकीदार	2	5200–20200+1000

2:– उक्त क्रम में तत्समय से आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त पदों की निरन्तरता अवधि समय–समय पर शासन द्वारा बढ़ाई गई है। क्योंकि प्रश्नगत कार्य स्थाई प्रकार का है तथा संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार भविष्य में भी पंचायतों एवं स्थानीय निकायों का चुनाव निरन्तर चलता रहेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–118/XXVII(7)/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2008 में प्रशासकीय विभाग को स्थाईकरण के अधिकार दिये गये हैं।

3:– अतः उपरोक्तानुसार पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित प्रति जनपद 07 विभिन्न पदों (अर्थात कुल 91 पदों) को स्थाई घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4:– उक्त के अतिरिक्त सूच्य है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–877/XXVII(7)च०श्रे०/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के अनुसार ₹ 1800/– ग्रेड पे,

पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः ही समाप्त होते जाएंगे अर्थात समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1000/- ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर नियमित भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

संलग्नक:–यथोपरि।

भवदीय,

(एम०एच०खान)
प्रमुख सचिव।

संख्या :– /IV(1)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
3. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उपसचिव।

(11)

संलग्नक

शासनादेश संख्या:- 605/IV(1)/2013-26(NV)/2002 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अधीन जनपद स्तर पर स्थायी किये गये पदों का विवरण:-

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्व स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	13	9300-34800+4200	शासनादेश संख्या-775/9-1-96-25-ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1996	शासनादेश संख्या 603/IV(1) 2013-26 (नo विo) /02 दिनांक 22 मार्च, 2013	
2.	वरिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2800			
3.	कनिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2000			
4.	चपरासी/चौकीदार	26	5200-20200+1800			

नोट— उपरोक्त पद उत्तराखण्ड 13 जनपदों में सृजित/स्वीकृत अस्थाई पदों का है प्रति जनपद का विवरण निम्नानुसार है:-

1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	—	01 पद (प्रति जनपद)
2.	वरिष्ठ लिपिक	—	02 पद (प्रति जनपद)
3.	कनिष्ठ लिपिक	—	02 पद (प्रति जनपद)
4.	चपरासी/चौकीदार	—	02 पद (प्रति जनपद)
	योग	—	07 पद (प्रति जनपद)

(एस0एच0खान)
प्रमुख सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

(12)

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3
संख्या-230/एम. एम. /33-3-1995
लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 19995

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल त्रिस्तरीय पंचायतों के अतिरिक्त कार्य करने के निमित्त जिला पंचायत राज अधिकारी जो पदेन सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं के कार्यालय में प्रति जनपद एक कनिष्ठ लिपिक और एक चपरासी/चौकीदार के पद की स्वीकृति देते हैं और इस निमित्त निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित संख्या तथा वेतन क्रम में शारदा सहायक कमाण्ड के सरप्लस स्टाफ के समायोजन द्वारा भरे जाने हेतु नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक के लिये सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ लिपिक	950-20-1150-द0रो0-25-1500	65	प्रत्येक जनपद में एक कनिष्ठ लिपिक और एक चपरासी/चौकीदार तैनात किया जायेगा।
2.	चपरासी/चौकीदार	750-12-870-द0रो0-14-940	65	

2- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना में पर्याप्त सरप्लस स्टाफ है अतएव श्री राज्यपाल आदेश देते हैं कि उपर्युक्त सृजित पदों को शारदा सहायक परियोजना के सरप्लस स्टाफ से भरा जाय और इस प्रयोजनार्थ शारदा सहायक समा0 क्षेत्र परियोजना के कनिष्ठ लिपिक के 65 पद तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 65 पदों को पद सहित स्थानान्तरित किया जाता है।

3- उक्त पदों में से क्रमांक 1 पर उल्लिखित पद पर उ0प्र0 पंचायत अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 की व्यवस्थायें लागू होंगी।

4- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

—— 2/--

उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-राज्य निर्वाचन आयोग" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-109 दिनांक 13.2.95 में सहमति से जारी किये जा रहे हैं।"

ह0
(देवेन्द्र स्वरूप)
अनु सचिव।

संख्या-230एम.एम.(1)/33-3-1995, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिला अधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0, लखनऊ।
(6) समस्त उप निदेशक (पंचायत), उ0प्र0।
(7) समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
(8) आयुक्त एवं प्रशासक शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
(9) सचिव, क्षेत्रीय विकास।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

ह0
(देवेन्द्र स्वरूप)
अनु सचिव।

संख्या—3513/33-3-99-14 रा०नि०आ०/99

प्रेषक,

राजकुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2— निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 1999

विषय:- शारदा सहायक कमाण्ड एरिया के सरप्लस 65 लिपिक तथा 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या-230एम0एम0/33-3-1995, दिनांक 14 फरवरी, 1995 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य के लिए सृजित 65 कनिष्ठ लिपिक तथा 65 चपरासी/चौकीदार के पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का रहेगा तथा इन पदों पर निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

2— इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 फरवरी, 1995 में उल्लिखित प्रस्तर-3 में दी गई व्यवस्था को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

भवदीय,

ह0

(राजकुमार)
विशेष सचिव।

2. कृत्य और कर्तव्यः–

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड मुख्यालय

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड का मुख्यालय, देहरादून में स्थापित है, जिसका कार्यालय "निर्वाचन भवन" ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड़), देहरादून में स्थित है।

भारत का संविधान 73 वें तथा 74 वें संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नागर स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावलियों को तैयार कराने तथा उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) में निहित हैं।

निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधार शिला होती है, यह नामावली जितनी परिपूर्ण सही तथा दोष रहित होगी उतनी ही निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद–243–'ट' तथा तदअनुसरण में लागू किये गये उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947, उत्तर–प्रदेश क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम–1961, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 तथा उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखंड राज्य में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग में त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के तैयार करवाये जाने एवं सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व निर्वहन करते हुए 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है।

2. पंचास्थानि चुनावालय, जनपद स्तर

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के नियत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जनपद में एक पंचास्थानि चुनावालय स्थापित किया गया है। जिसका मुख्य कार्य आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्य (विस्तृत एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण), निर्वाचन/उप निर्वाचन सम्पन्न कराना हैं। इसके अतिरिक्त पंचास्थानि चुनावालय में कार्यरत् कार्मिकों के स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यो का भी सम्पादन किया जाता है। जनपद स्तर पर कार्य करने के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) के निर्देशन में यह कार्य सम्पन्न होता है। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। जिला कार्यालय इन अधिकारियों के निर्देशन व नियंत्रण में उक्त कार्य सम्पन्न कराते हैं।

मैनुअल–2

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्रः– संविधान का अनुच्छेद 243–'ट' के अनुसार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित करवाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पंचारस्थानि चुनावालय हेतु निम्नानुसार विभिन्न पद सृजित किये गये हैं:–

राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1	2	3
1.	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त	त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण का दायित्व ।
2.	सचिव	पद रिक्त
3.	संयुक्त सचिव	1. अधिष्ठान/लेखा/निर्वाचन से संबंधित समस्त पत्रावलियों का निस्तारण। 2. आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन/सुझाव देना। 3. मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कराना। 4. राज्य निर्वाचन आयोग के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण–वितरण करना।
4.	उप सचिव (लेखा)	1. वित्तीय अधिकार लेखा अनुभाग की पत्रावलियों पर मंतव्य। 2. राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराया जाना।
5.	उप सचिव	1. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग–1 अधिष्ठान, अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण। 2. अनुभाग–1 अधिष्ठान, अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर कार्यवाही। 3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यो का निर्वहन किया जाना। 4. सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के अपीलीय अधिकारी के कार्य का निर्वहन।
6.	उपायुक्त	1. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण। 2. अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर कार्यवाही। 3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यो का निर्वहन किया जाना।

7.	अनु सचिव	1. अधिष्ठान, स्टोर एवं लेखा से संबंधित कार्य। 2. टेण्डर/कोटेशन से संबंधित कार्य। 3. सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कार्य का निर्वहन।
8.	1. सहायक आयुक्त	1. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण। 2. अनुभाग–2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग–3 नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित पत्रावलियों पर कार्यवाही। 3. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यो का निर्वहन किया जाना।
	2. सहायक आयुक्त	पद रिक्त
9.	अनुभाग अधिकारी	1. अनुभाग से संबंधित कार्यो का निर्वहन/पर्यवेक्षण। 2. आयोग द्वारा नामित अनुभाग अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यो का निर्वहन।
10.	निजी सचिव	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त से सम्बद्ध
11.	समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित विचाराधीन पत्रों पर टिप्पणी एवं आलेख पत्रावली पर अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाना।
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	लेखा से सम्बन्धित समस्त कार्यो का निर्वहन किया जाना।
13.	अपर निजी सचिव	पद रिक्त
14.	सहायक समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित कार्यो का निर्वहन।
15.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नागर निकाय निर्वाचनों से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को इन्टर नेट पर प्रदर्शित करना एवं निर्वाचक नामावली हेतु साफ्टवेयर तैयार किया जाना।
16.	टंकक/डाटा इन्ट्री आपरेटर	अनुभाग से संबंधित टंकण कार्यो का निर्वहन किया जाना।
17.	वाहन चालक	वाहन चलाना।
18.	अर्दली/चपरासी/चौकीदार/स्वच्छक	आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाना।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के नियंत्रणाधीन जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालयों से संबंधित कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार पद सृजित किये गये है:-

जिला स्तरीय पंचास्थानि चुनावालय

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1	2	3
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	निर्वाचन, अधिष्ठान तथा लेखा संबंधी कार्यो को सम्पन्न कराने तथा पत्रावलियों/सूचनाओं को उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित करना, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचन कार्यों का सम्पादन किया जाना।
2.	वरिष्ठ सहायक	जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में कार्यो का निर्वहन।
3.	कनिष्ठ सहायक	--तदैव--
4.	चतुर्थ श्रेणी/अनुसेवक	अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य किया जाना।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा **त्रिस्तरीय पंचायतों/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन** में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों को **पदाभिहीत (डिजिग्नेटेड)** किया गया है:-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय); **जिलाधिकारी।**
2. प्रभारी अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय); **मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी।**
3. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), आयोग द्वारा नियुक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी।

मैनुअल–3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं–

भारत का संविधान के 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को न केवल संवैधानिक ईकाई बनाया गया है। बल्कि प्रत्येक 05 वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधन के फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद–243ट के अधीन पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। उक्त कार्यो के निर्वहन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्रिया, पर्यवेक्षण/उत्तरदायित्व का माध्यम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

(अ) पंचायत निर्वाचनः–

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; **अपर जिलाधिकारी अथवा जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है अथवा पद रिक्त होने की दशा में उन जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी।**
2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी; उप **जिलाधिकारी/आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण तहसीलदार को नियुक्त कर सकते हैं।**
3. विकासखण्ड में पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी–**खण्ड विकास अधिकारी।**
4. अपील अधिकारी– **जिलाधिकारी।**
5. राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतो के सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधान के पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कर्तव्यों, दायित्वों के निर्वहन के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर तथा विकास खण्ड स्तर के जिन अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है उनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	स्तर	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला पंचायतों के लिए	जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी।	जिला स्तरीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर तथा खण्ड विकास अधिकारी या इनके ऊपर के अधिकारी।
2.	क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के लिए	डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निबंधक सहकारी समितियां, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप सम्भागीय अधिकारी अन्य जिला स्तर के अधिकारी।	नायब तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक खण्ड़ विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक या इसके स्तर के अन्य अधिकारी।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पद पर निर्वाचन हेतु पदाभिहित किये गये निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:–

क्र. सं.	निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारी	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)/ जिलाधिकारी	जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उप संचालन चकबंदी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर के राजपत्रित अधिकारी।
2.	क्षेत्र पंचायत, प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख	जिलाधिकारी	जिले के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर)
3.	ग्राम पंचायत, उप प्रधान	सहायक खण्ड विकास अधिकारी, चकबंदीकर्ता, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अन्य अधिकारी।	लेखपाल, पटवारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, संग्रह अमीन तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीगण।

(ब) नागर निकाय निर्वाचनः–

1. जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी–**अपर जिलाधिकारी**
2. निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी–**उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट।**
3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी–**तहसीलदार।**
4. नोडल अधिकारी–**नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्य हेतु अपर मुख्य नगर अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।**
5. अपील अधिकारी–**जिला मजिस्ट्रेट।**

5.

क्र. सं.	निकाय/पद	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	नगर निगम के नगर प्रमुख/उप नगर प्रमुख	जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट	राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी
2.	नगर निगमों के सभासद	राज्य सरकार का श्रेणी–1 का अधिकारी	राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी
3.	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य	अपर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का श्रेणी–1 या श्रेणी–2 का राजपत्रित अधिकारी	राज्य सरकार का श्रेणी–2 का अधिकारी अथवा अधीनस्थ सेवा के अधिकारी।

6.

क्र. सं.	स्तर	जोनल मजिस्ट्रेट	सेक्टर मजिस्ट्रेट
1	2	3	4
1.	नगर निगम	अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।
2.	नगर पालिका परिषद	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।
3.	नगर पंचायत	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/अधिकारी।

संविधान की धारा 243 ट (3) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकतानुसार कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

::

मैनुअल–4

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्बन्धित अधिनियमों/नियमावलियों के प्राविधानों के अनुसार सम्पन्न किये जाते हैं:–

1. निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण (पंचायतों एवं नागर निकायों) हेतु।
2. त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
3. नागर निकाय सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
4. जिला योजना समिति निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।

उक्त से संबंधित नियमावलियां **मैनुअल–5** में दी गयी हैं।

ई.मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 881/रा0नि0आ0अनु0–2/4219/2024

देहरादून: दिनांक: 19 सितम्बर, 2024

जनपद हरिद्वार के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप–निर्वाचन।

अधिसूचना

अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पंचायती राज अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–240761/XII(1)–2024/ई–21240 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा जनपद हरिद्वार की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
24.09.2024 एवं 25.09.2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	26.09.2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	27.09.2024 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	27.09.2024 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08.10.2024 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	10.10.2024 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार ग्राम पंचायतों तथा क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 20.09.2024 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में संचार माध्यमों/मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना–पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

क्रमशः–––2

3. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा **सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302(एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441(एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020** का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन–प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

4. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 881/रा0नि0आ0अनु0–2/4219/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
12. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
13. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
14. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
15. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
16. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना–पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)
उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

संख्या 1016 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांक 05 अक्टूबर, 2024

विषयः– पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण 2024–25 हेतु निर्देश।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के पाँच वर्ष के कार्यकाल की नियत अवधि माह नवम्बर, 2024 में समाप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप यथाशीघ्र त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने की संवैधानिक बाध्यता है, जिस हेतु उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना अति आवश्यक है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन से पूर्व पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। विस्तृत पुनरीक्षण में निर्वाचक नामावली में **दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष** की आयु प्राप्त करने वाले अर्ह व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित किये जायेंगे। निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है। अतः यह आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली यथासाध्य, त्रुटिहीन और परिपूर्ण हो। यह भी आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली में ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित हों जो विधिवत मतदान करने के अधिकारी हैं और ऐसे किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित न हो जिसे यह अधिकार प्राप्त नहीं है। तद्नुसार सही रूप में निर्वाचक नामावली तैयार कराना उक्त कार्य से जुड़े प्रत्येक अधिकारी और कार्मिक का परम कर्तव्य है।

2. निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम सारणी संलग्नक–1ए में दी गयी है, जिसे संबंधित अधिकारी यथा जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नोडल अधिकारी, पर्यवेक्षक तथा संगणक उक्त कार्यक्रम के दौरान हर समय अपने साथ रखेंगे।

3. पंचायत निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के प्राविधानों के अनुसार संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना करने और जांच के पश्चात नये सिरे से निर्वाचक नामावली तैयार करने में एकरूपता लाने हेतु निम्नांकित दिशा निर्देश दिये जाते हैं:–

प्रचार प्रसार

विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। संसद और विधान मण्डल के सदस्यों को लिखित रूप से पुनरीक्षण कार्यक्रम की सूचना दिनांक **18.10.2024** तक अवश्य दे दी जाय। विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम के विज्ञापन **(संलग्नक–1ए)** के अर्न्तगत दो दिनाकों **(एक बार संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना सर्वेक्षण अवधि से पूर्व तथा दूसरी बार घर–घर जाकर गणना सर्वेक्षण के मध्य)** को स्थानीय लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय। इस हेतु जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रयास यह किया जाय कि उक्त विज्ञापन समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ (फ्रन्ट पेज) पर प्रकाशित हो परन्तु यह **सार्वजनिक हित की सूचना होने के कारण यथा संभव निःशुल्क प्रकाशित कराने का प्रयास कराया जाय।** ग्राम पंचायतों में डुग्गी पिटवाकर अथवा ध्वनि–विस्तारक यंत्र से दिनांक **17.10.2024** से दिनांक **16.11.2024** के बीच दो बार मुनादी अवश्य करायी जाय जिससे जनता को इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी हो सके। जनता में व्यापक जानकारी कराने हेतु पैम्फलेट्स/हैण्डबिल भी छपवाये जा सकते हैं जिन्हें ग्राम स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से प्रति ग्राम पंचायत 20 से 30 की संख्या में वितरित किया जाय तथा ये दृष्टव्य स्थान पर भी चिपकाये जा सकते हैं। युवा कल्याण व नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से वाल राइटिंग भी करायी जा सकती है। प्रचार–प्रसार का समस्त कार्य समयबद्ध रूप से मितव्ययता के आधार पर कराया जाना है तथा प्रयास किया जाए कि अधिकांश कार्य निःशुल्क अथवा नगण्य व्यय में ही सम्पादित हो जाय। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने प्रभाव का सही प्रयोग कर मितव्ययता में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। जनपद के लिए प्रचार–प्रसार हेतु धनराशि की सीमित व्यय की सीमा निधारित की गयी है।

कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की ओर से जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) पंचायतों की निर्वाचक नामावली तैयार करने में लगे सभी अधिकारियों के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु अधिकृत हैं तथा जिले के अपर जिलाधिकारी अथवा जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है अथवा पद रिक्त होने की दशा में उन जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी पंचायत निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु जिले के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(पं0) द्वारा अपने पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करने हेतु उप जिलाधिकारी को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण और निर्देशन में रहते हुए आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समस्त अथवा किन्ही कृत्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तहसीलदार को

कमशः......3

अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। जिनके कार्यक्षेत्र अलग–अलग बाटने होंगे परन्तु खण्ड विकास अधिकारी को पूरे विकास खण्ड में निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के निर्देश दिये जाये। घर–घर जाकर गणना तथा जांच करने हेतु संगणक तथा उसके कार्यो के निरीक्षण और पर्यवेक्षण हेतु पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये जायेंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति आदेश का प्रारूप परिशिष्ट–3 एवं 3(1) पर दर्शाया गया है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार अपने–अपने क्षेत्र के विकास खण्डों के अन्तर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संगणक के रूप में यथासम्भव सम्बन्धित ग्राम पंचायत में विधानसभा की निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए नियुक्त किये गये बी0एल0ओ0 को ही उस ग्राम पंचायत में संगणक के रूप में नियुक्त करने का प्रयास किया जाय अतिरिक्त संगणक की आवश्यकता की दशा में अन्य ग्राम स्तरीय अधिकारियों को जिन्हें उपयुक्त समझा जाय नियुक्त किया जा सकता है। पंचायत निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायतवार तैयार की जाती है, अतः संगणक भी ग्राम पंचायतवार नियुक्त करने होंगे परन्तु एक संगणक का कार्य क्षेत्र 2000 से 3000 आबादी पर निर्धारित किया जाय। एक संगणक एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते उन ग्राम पंचायतों की कुल आबादी 3000 से अधिक न हो। 3000 से अधिक आबादी होने पर प्रति 2000 की आबादी पर एक–एक संगणक की संख्या बढायी जायेगी किन्तु किसी भी दशा में किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को जो दो संगणकों या अधिक संगणको द्वारा तैयार की गयी हो उसे संगणकवार विभाजित न किया जाय अर्थात किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का क्रमांक एक से अन्त तक एक क्रम में ही लिखा जाय। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर संगणकों द्वारा किये जाने वाले गणना कार्य की जॉच व पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया जायेगा। पर्यवेक्षक के रूप मे राजस्व निरीक्षक सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक विकास अधिकारी एवं समकक्ष विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी आदि की नियुक्ति की जा सकती है।

संगणकों को घर–घर जाकर निर्धारित निर्वाचक कार्ड संलग्नक–4 में विवरण तैयार करना होगा। निर्वाचक कार्ड पर क्रमांक अंकित करने होंगे तथा वे दोहरी प्रतियों में डुप्लीकेट पुस्तिका के रूप में (द्वितीय प्रति हल्के पीले रंग में) संगणकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। संगणक द्वारा निर्वाचक कार्ड पर घर के मुखिया से जानकारी प्राप्त करके **दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष** की आयु पूर्ण करने वाले वयस्क नागरिकों का विवरण अंकित करके एवं यह जानकारी प्राप्त कर ली जाय कि क्या कोई निर्वाचक दिव्यांग है? यदि हां तो निर्वाचक कार्ड में अंकित करके उसकी कार्बन प्रति (द्वितीय प्रति हल्के पीले रंग में) उसी समय घर के मुखिया या उनकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ सदस्य को दी जायेंगी। निर्वाचक कार्ड पर संगणक तथा घर का मुखिया/वरिष्ठ

क्रमशः.......4

सदस्य(प्राप्तकर्ता) के हस्ताक्षर व नाम भी अंकित होना आवश्यक है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि निर्वाचक नामावली ग्राम पंचायतवार (ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों को स्पष्ट करते हुये कक्षवार) तैयार की जानी है। निर्वाचक के रूप में किसी भी व्यक्ति की अर्हता और अनर्हता निम्नवत् होगी:-

अर्हता

1- प्रत्येक व्यक्ति जो **01 जनवरी, 2025** को **18 वर्ष** की आयु पूर्ण कर रहे हों, और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूली तौर से निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण:-

(I) किसी व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी है।

(II) अपने मामूली निवास स्थान से अपने आपको अस्थाई रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के संबंध में केवल इसी कारण यह नहीं समझा जायेगा कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रहा।

(III) संसद या राज्य के विधान मण्डल का सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा,

(IV) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, यह आवश्यक होगा कि वहां पर रात्रिनिवास हेतु उसका किसी भी रूप में घर या मकान हो और वह माह में अधिकांशतः निवास करता हो, परन्तु किसी सीजनल कार्य से 04-06 माह के लिए अपने निवास से बाहर जाने वाला व्यक्ति जो उसके बाद पुनः आकर वहीं निवास करता है, निर्वाचक के रूप में अनर्ह नहीं हो जायेगा और 04-06 माह के सीजनल कार्यस्थल पर रहने वाले व्यक्ति को मामूली तौर पर उस क्षेत्र का निवासी नहीं माना जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि मामूली तौर पर निवास करने के प्रश्न का अवधारण, मामले के सभी तथ्यों के आलोक में किया जाए।

अनर्हता

2- निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई व्यक्ति अनर्ह होगा यदि वह:-

(क) भारत का नागरिक न हो, या

(ख) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, या

(ग) निर्वाचनों संबंधी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

क्रमश.........5

संगणकों हेतु अनुदेश

संगणकों के लिए विस्तृत अनुदेश संलग्नक–3 में दिये गये हैं (जो पूर्व में भेजे गये है)। संगणकों द्वारा किये जाने वाले गणना कार्यो की शुद्धता एवं सत्यता की जॉच के लिए सम्बन्धित पर्यवेक्षक को 10 प्रतिशत तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकण अधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत जांच करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकण अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय अथवा अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से आकस्मिक दौरों में संगणकों एवं पर्यवेक्षकों तथा सहायक/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यों की आकस्मिक जॉच भी अपेक्षित है ताकि गणना की सत्यता एवं शुद्धता एवं परिपूर्णता संदेह से परे हो। तत्सम्बन्धी जॉच आख्या प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप संलग्नक–5 में दिया गया है।

संगणकों को अपने क्षेत्र के कार्य की समाप्ति पर उनके द्वारा संलग्नक–3 के साथ दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र देना होगा ताकि इस कार्य की सत्यता एवं शुद्धता एवं परिपूर्णता सुनिश्चित हो सके। पर्यवेक्षकों तथा अन्य अधिकारियों के लिए आयोग द्वारा मानदेय निर्धारित किया गया है जिसकी धनराशि निर्धारित मानक अनुसार कार्य के संतोषजनक होने के प्रमाण पर कार्य समाप्ति पर दी जायेगी।

प्रशिक्षण के समय संगणकों को उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट रूप से निर्धारण करना होगा और उन्हें आवंटित ग्राम पंचायत के क्रमवार प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के अन्तर्गत स्थित घर/मकान नम्बर की **तालिका** और ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्रामों सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार (वार्डवार) वार्ड की सीमा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए **स्कैच (नजरी नक्शा)** देना होगा। ग्राम पंचायत के वार्डवार प्रत्येक घर के मुखिया के नामों की क्रमवार सूची भी बनाकर संगणकों को दी जा सकती है ताकि निर्वाचक की घर एवं नाम की भूल या भ्रमवश अन्य वार्ड में गणना न हो। निर्वाचकों की वार्डवार गणना किस दिशा में किस कम में किस प्रकार की जानी है यह जानकारी भी संगणकों को भलीभांति देना होगी ताकि वर्तमान निर्वाचक नामावली के निर्वाचकों से सामंजस्य बैठ सके। ग्राम पंचायतों के वार्डवार स्कैच (नजरी नक्शे) तैयार कराने का दायित्व जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपा जाय तथा तैयार किये गये स्कैच (नजरी नक्शों) को प्रशिक्षण के समय संगणकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित खण्डअधिकारी/नोडल अधिकारी को सौंपी जाय। इसी प्रकार सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/अतिरिक्त सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ पर्यवेक्षक के कार्यक्षेत्र का भी स्पष्ट रूप से विभाजन करना होगा।

घर–घर जाकर गणना के निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व ब्लाक मुख्यालय पर संगणकों, पर्यवेक्षको को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाय। अतः सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अन्य

क्रमशः.........6

संबंधित अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाय। प्रशिक्षण के समय संगणकों और पर्यवेक्षकों को कड़े निर्देश दे दिये जाएं कि वे दिये गये आदेशों का समुचित और कड़ाई से पालन करेगें। उन्हें यह कड़े निर्देश दिये जाय कि एक ही जगह बैठकर निर्वाचक कार्ड भरने का कार्य न करें बल्कि प्रत्येक घर में जाकर गणनाकर जांचोपरान्त सही रूप से निर्वाचक कार्ड भरकर तैयार करें और उसकी कार्बन प्रति (संगणक तथा घर के मुखिया के हस्ताक्षर सहित) उसी समय घर के मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ सदस्य को दी जायेगी। संगणकों/पर्यवेक्षकों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्य के आकस्मिक निरीक्षण हेतु अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाए कि वे जब भी निर्दिष्ट अवधि में विभागीय कार्य से भ्रमण पर जाएं तो गणना कार्य की भी आकस्मिक जांच अवश्य करें। इससे शत–प्रतिशत सही निर्वाचक नामावली को तैयार करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी। आयोग की ओर से भी समय–समय पर उक्त कार्य का स्थलीय परीक्षण किया जा सकता है। संगणकों के कार्य समाप्ति पर उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–3) में उल्लिखित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र देगा ताकि कार्य की शुद्धता, सत्यता एवं परिपूर्णता सुनिश्चित हो सके।

प्रारूप नामावलियों की पाण्डुलिपि तैयार करना

संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात सामान्यतः 10 दिन के भीतर निर्वाचक कार्डो की प्रविष्टियों के आधार पर नयी निर्वाचक नामावली की वार्डवार पाण्डुलिपि पंचायत निर्वाचन निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी (निर्देश पुस्तिका) के **परिशिष्ट–4(1)** में दिये गये प्रारूप में तीन प्रतियों में तैयार कर ली जाए। तत्पश्चात सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से वर्तमान प्रचलित निर्वाचक नामावली प्राप्त कर पाण्डुलिपि का उससे मिलान कराया जायेगा। जांच के पश्चात पुनः निर्वाचक कार्डो की प्रविष्टियों से अन्तः प्रति पर हस्तलिखित नामावली के निर्वाचक क्रमांक को दर्ज किया जायेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि जारी किये गये कार्ड में किसी भी अर्ह निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की हस्तलिखित प्रति में छूटा तो नहीं हैं। यदि कोई विशेष अन्तर मिलता है तो उसका समाधान मौके पर जाकर किया जाय। परन्तु यह समस्त कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण कराना अनिवार्य है। यह ध्यान देने योग्य है कि हस्तलिखित प्रति स्वच्छ और सुलेख में (देवनागरी लिपि में हिन्दी में) तैयार की जानी है अन्यथा छपाई में असुविधा और मुद्रण त्रुटिपूर्ण होने का अन्देशा रहेगा। हस्तलिखित प्रति तैयार करने का कार्य संगणक और पर्यवेक्षकों से कराया जाए। हस्तलिखित प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर संगणक, पर्यवेक्षक और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर होगें।

क्रमशः........7

प्रारूप नामावली का मुद्रण

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दरों/मानकों के आधार पर निर्वाचक नामावली का मुद्रण देवनागरी लिपि में हिन्दी में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सॉफ्टवेयर के अनुसार कराया जायेगा और तद्नुसार सी0डी0/पैन ड्राइव तैयार करायी जायेगी तथा ग्राम पंचायतवार निर्वाचक नामावली की 50–50 प्रतियां तैयार करायी जाय। यदि स्थानीय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण उपलब्ध न हो तो जिले स्तर पर या निकटवर्ती अन्य स्तर से कम्प्यूटरीकरण एवं मुद्रण का कार्य निर्दिष्ट अवधि के भीतर कराया जाना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली का मुद्रण कराने में यह सावधानी रखी जाय कि पृष्ठों में वार्ड संख्या देते हुये एक ही तारतम्य में एक ही मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली मुद्रित करायी जायेगी। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक मतदान स्थल हों तो मतदान स्थलवार मुद्रण कराया जाय। तात्पर्य यह है कि यदि एक मतदान स्थल की सम्पूर्ण नामावली को मुद्रित कराने में अंकित पृष्ठ पर कुछ ही प्रविष्टियॉं रह जाये तो उस ग्राम पंचायत के दूसरे मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली नये पृष्ठ से मुद्रित करायी जाय। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों का क्रमांक एक से लेकर अन्त तक क्रमशः रहेगा। तात्पर्य यह है कि वार्ड तथा मतदान स्थल बदलने से निर्वाचक का क्रमांक नहीं परिवर्तित होगा।

निर्वाचक नामावली की प्रतियॉं मुद्रित कराने के उपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली तैयार करने संबंधी निर्देश पुस्तिका के अध्याय–5 व 6 में दी गई व्यवस्थानुसार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन, प्रचार, दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने तथा प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई को पश्चात् निस्तारण की प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

निर्वाचक नामावली के आलेख का प्रकाशन

निर्दिष्ट अवधि में परिशिष्ट–4(2) में निर्वाचक नामावली की प्रतियां मुद्रित कराने के पश्चात उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) में निर्धारित प्रपत्र–1 पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से नोटिस प्रदर्शित करके निर्वाचक नामावली (आलेख के रूप में) प्रकाशित की जायेगी और नामावली की एक–एक प्रति विकास खण्ड कार्यालय, ग्राम पंचायत कार्यालय जो ग्राम पंचायत का पंचायत घर, विद्यालय भवन, साधन सहकारी समिति का भवन, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित उचित मूल्य की दुकान, आगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य कोई सार्वजनिक भवन, जिसे इस निमित्त जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का कार्यालय घोषित किया गया हो, में प्रकाशन के दिनांक से सात दिनों/विहित अवधि के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी तथा निरीक्षण कराने का कार्य किसी भी ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (जूनियर स्कूल के अध्यापक/प्रधानाध्यापक, आदि) को आदेश द्वारा सौंपा जा सकता है। इसके साथ ही डुग्गी पिटवाकर या ध्वनि विस्तारक अथवा अन्य किसी सुविधाजनक रीति से निःशुल्क इस तथ्य को प्रसारित किया जायेगा कि पंचायत क्षेत्र की नामावली प्रकाशित हो गयी है और प्रकाशन के दिनांक से सात दिनों/विहित अवधि के लिए निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

क्रमश.........8

दावे/आपत्ति दाखिल करना

उपरोक्त निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन की प्रपत्र–1 में नोटिस प्रकाशित करने के तत्काल बाद से ही दावे/आपत्तियां दाखिल करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा जो निर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत चलता रहेगा। जनसाधारण की सुविधा के लिए जिन कर्मचारियों को सूचियों के निरीक्षण कराने का कार्य सौंपा जाए उसे निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों को प्राप्त करने का दायित्व भी सौंपा जा सकता है। इस प्रकार एतद्संबंधी निर्देश पुस्तिका के प्रपत्र–2 में नाम सम्मिलित किये जाने का दावा तथा किसीप्रविष्टि के विवरण के संबंध में आपत्ति प्रपत्र–3 में होगी। निर्वाचक नामावली के विभिन्न कारणों के आधार पर नाम हटाये जाने संबंधी आपत्ति प्रपत्र–4 में दो प्रतियों में प्राप्त की जायेगी। दावों और आपत्तियों के प्राप्ति स्वरूप रसीद (संलग्नक–6) में जारी की जायेगी जो दोहरी प्रतियों में होगी। उक्त रसीद की पुस्तिका दोहरी प्रतियों में मुद्रित करानी होगी तथा प्रत्येक कार्यकर्ता, जिसको दावा/आपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, को एक–एक रसीद पुस्तिका देनी होगी। यदि किसी व्यक्ति के नाम निकालने संबंधी आपत्ति प्रपत्र–4 में की गयी हो तो वह दो प्रतियों में प्राप्त की जायेगी जिसकी एक प्रति प्रपत्र–6 के नोटिस के साथ सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए उस व्यक्ति को, जिसके नाम निकाले जाने की आपत्ति की गयी है, को यू0पी0सी0 से भेजी जायेगी, और प्रपत्र–6 की नोटिस की प्रति संबंधित कर्मचारी के पास रहेगी। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जिन मामलों में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावों से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं उन्हें सुनवाई की तारीख सूचित करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा सुनवाई की तारीख दावे/आपत्ति निस्तारण किये जाने की निर्धारित तिथि के दिनांक से रखी जायेगी। इस प्रकार दावे/आपत्तियों संबंधी प्रपत्रों और रसीद के प्रारूप अपेक्षित संख्या में मुद्रित कराकर उक्त कर्मचारी को समय से उपलब्ध करानी होगी। संबंधित कर्मचारी द्वारा दावे/आपत्तियों का विवरण प्रपत्र–5 में तैयार किया जायेगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि ऐसा विवरण–पत्र दावे/आपत्तियों के मूल अभिलेखों सहित दूसरे दिन सीधे अथवा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराता रहे। दावे/आपत्तियां सीधे नोडल अधिकारी, अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी प्राप्त की जा सकेगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावे/आपत्तियों की सूची प्रपत्र–5 में तैयार करेगा। इन प्रतियों की एक सूची वह अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रतिदिन प्रदर्शित करेगा।

दावे आपत्तियों का निस्तारण

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विहित अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विहित रीति से यदि कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी जायेगी। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिन मामलों में

कमशः.....9

की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट न हो तो ऐसे दावेदार/आपत्तिकर्ता को प्रपत्र–6 में नोटिस तामील की जायेगी उसकी एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता के निवास स्थान पर चस्पा कराई जायेगी। नोटिस में दावे आपत्ति की सुनवाई का समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और दावेदार/आपत्तिकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने और उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा। यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दो साक्षियों के समक्ष ऐसी चस्पा की गयी नोटिस तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र तामीली के लिए निश्चयात्मक प्रमाण माना जायेगा। दावे/आपत्तियों के साथ दावेदार/आपत्तिकर्ता द्वारा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें जिन पर सुनवाई के समय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावेदार/आपत्तिकर्ता का बयान अभिलिखित करने अथवा ऐसी अन्य संक्षिप्त जांच के पश्चात अपना लिखित विनिश्चय दिया जायेगा और अपने विनिश्चिय से संबंधित आदेश की एक प्रति दावेदार/आपत्तिकर्ता को वह निःशुल्क उपलब्ध करायेगा। यदि आपत्तिकर्ता की शिकायत सही पायी जाय और किसीनिर्वाचक का नाम संबंधित नामावली से हटाने का विनिश्चय अभिलिखित हो जाए तो तत्संबंधी सूचना ऐसे व्यक्ति को यू0पी0सी0 द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक–7) पर अवश्य भेजी जाए।

पूरक सूचियों की तैयारी और मुद्रण

दावे/आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् ऐसे मामलों की निम्नांकित तीन शीर्षकों में वर्गीकृत करके सूचियां तैयार की जायेगी:–

1– परिवर्धन सूची

2– संशोधन सूची

3– विलोपन सूची

ऐसी सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेगें और कांट–छांट की जगह पर लघु हस्ताक्षर होगें। यह सूची निर्वाचक नामावली की पूरक सूची होगी और यह सूची निर्धारित समय में मुद्रित कराकर मूल सूची के साथ संलग्न की जायेगी।

निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन

निर्धारित अवधि के अन्त तक निर्वाचक नामावली की मूल प्रति के साथ पूरक सूची की मुद्रित प्रति सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रपत्र–7 में सूचना प्रदर्शित करके अन्तिम रूप से प्रकाशित की जायेगी, जिसकी सूचना विकास खण्ड कार्यालय, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय तथा ग्राम पंचायत के निर्दिष्ट कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित की जायेगी।

क्रमश............10

अपील

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित व्यक्ति अपील प्राधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है। ऐसी अपील परिशिष्ट–06 में दिये गये प्रारूप (पूर्व में प्रेषित) में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चिय की प्रति के साथ निर्धारित अवधि (तीन दिन की अवधि के भीतर) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल उसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित की जायेगी। अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा भी उक्त अधिकारी ठीक समझे, वह अपील में समुचित आदेश पारित करेगा। यदि अपील मान्य की गयी हो तो वह परिशिष्ट–7 (पूर्व में प्रेषित) में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आदेश देगा कि वह निर्वाचक नामावली में उसके विनिश्चय के अनुसार आवश्यक संशोधन करें। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अपील में संशोधन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना जारी होने के पूर्व तत्संबंधी निर्देश प्राप्त होने पर ही किया जायेगा और अपील के लम्बित प्रकरण के कारण निर्वाचक नामावली का प्रकाशन बाधित नहीं होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:–1016 /रा0नि0आ0/अनु0–2/4240/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
5– मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल।
6– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
7– समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) जो पंचायत का कार्य व्यवहृत कर रहे हैं।
8–गार्ड फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्यक्रम

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)** की पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निम्न समय–सारणी निर्धारित की गयी है। निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में अपना सही नाम एवं पता अंकित कराने, गलत प्रविष्टियों के निष्कासन तथा पात्र व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कराने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। संगणक घर–घर जाकर प्रत्येक परिवार के समस्त वयस्क/पात्र व्यक्तियों का विवरण तैयार करेगें जिसकी एक प्रति परिवार के मुखिया को भी उपलब्ध करायी जायेगी। **दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की** आयु पूरी करने वाले व्यक्ति भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम अंकित करा सकेगें।

जनसामान्य से यह अपील की जाती है कि इस अवसर का लाभ उठाकर निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम में भरपूर सहयोग प्रदान करें।

समय–सारिणी

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–(क) क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति।	07.10.2024 से 09.10.2024 तक	03 दिन
(ख) ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति	10.10.2024 से 13.10.2024 तक	04 दिन
(ग) कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराना।	14.10.2024 से 19.10.2024 तक	06 दिन
2–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना।	20.10.2024 से 16.11.2024 तक	28 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करना	17.11.2024 से 20.11.2024 तक	04 दिन
4–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	21.11.2024 से 22.11.2024 तक	02 दिन
5–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	23.11.2024 से 22.12.2024 तक	30 दिन
6– प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	23.12.2024 से 24.12.2024 तक	02 दिन
7– निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन।	25.12.2024	–

क्रमशः...............2

8– निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना।	26.12.2024 से 01.01.2025 तक	07 दिन
9– प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना।	02.01.2025 से 05.01.2025 तक	04 दिन
10–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करना	06.01.2025 से 07.01.2025 तक	02 दिन
11–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना।	08.01.2025 से 09.01.2025 तक	02 दिन
12–पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना।	10.01.2025 से 11.01.2025 तक	02 दिन
13–तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना।	12.01.2025	–
14–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	13.01.2025	–

अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपजिलाधिकारी)/नोडल अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी) तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)
जनपद.............

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)
जनपद...............

निर्वाचन आवश्यक/शीर्ष प्राथमिकता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 1015/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 05 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के पॉच वर्ष के कार्यकाल की नियत अवधि माह नवम्बर, 2024 में समाप्त हो रही है। निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622 एवं 1623 दिनांक 27.09.2024 जारी करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई गई है एवं पत्र संख्या 1671/M-51-IX-PN/2024 दिनांक 01.10.2024 द्वारा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रपत्रों सहित सूचना आयोग को उपलब्ध कराया गया है। जिसके फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 194(2) के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड**, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज(निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण) नियमावली–1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के प्राविधानों के अर्न्तगत एतद्द्वारा निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश देता हूँ:–

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम–2024–25

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–(क) क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति।	07.10.2024 से 09.10.2024 तक	03 दिन

क्रमशः.............2

(ख) ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति	10.10.2024 से 13.10.2024 तक	04 दिन
(ग) कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना एवं प्रशिक्षण देना और गणना/सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराना।	14.10.2024 से 19.10.2024 तक	06 दिन
2–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना।	20.10.2024 से 16.11.2024 तक	28 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करना	17.11.2024 से 20.11.2024 तक	04 दिन
4–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	21.11.2024 से 22.11.2024 तक	02 दिन
5–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	23.11.2024 से 22.12.2024 तक	30 दिन
6– प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	23.12.2024 से 24.12.2024 तक	02 दिन
7– निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन।	25.12.2024	–
8– निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना।	26.12.2024 से 01.01.2025 तक	07 दिन
9– प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना।	02.01.2025 से 05.01.2025 तक	04 दिन
10–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करना	06.01.2025 से 07.01.2025 तक	02 दिन
11–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना।	08.01.2025 से 09.01.2025 तक	02 दिन
12–पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना।	10.01.2025 से 11.01.2025 तक	02 दिन
13–तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना।	12.01.2025	–
14–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	13.01.2025	–

क्रमश:..............3

दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय-वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नही होगा।

निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2025** निर्धारित की जाती है अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो **01 जनवरी, 2025** को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों या पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में सर्व-साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा।

निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 1615/रा0नि0आ0अनु-2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2- सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
5- आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल।
6- महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।

क्रमशः..............4

7– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

8– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।

9– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

10–समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

11–निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।

12–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13–आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

14–सूचना पट्, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

15–गार्ड फाइल

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

निर्वाचन आवश्यक / शीर्ष प्राथमिकता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 1315/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024

अधिसूचना (संशोधित)

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने हेतु आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1015/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 194(2) के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड,** उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली–1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निम्नांकित संशोधित समय–सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश देता हूँ:–

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत निर्वाचक नामावली का संशोधित विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम–2024–25

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना।	20.10.2024 से 25.11.2024 तक	37 दिन
2–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करना	26.11.2024 से 29.11.2024 तक	04 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	30.11.2024	–
4–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	01.12.2024 से 28.12.2024 तक	28 दिन
5– प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	29.12.2024 से 30.12.2024 तक	02 दिन

क्रमशः..............2

6– निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन।	31.12.2024	–
7– निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना।	01.01.2025 से 07.01.2025 तक	07 दिन
8– प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना।	08.01.2025 से 10.01.2025 तक	03 दिन
9–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करना	11.01.2025 से 12.01.2025 तक	02 दिन
10–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना।	13.01.2025	–
11–पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना।	14.01.2025 से 15.01.2025 तक	02 दिन
12–तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना।	16.01.2025	–
13–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	17.01.2025	–

दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय–वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नही होगा।

निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2025** निर्धारित की जाती है अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो **01 जनवरी, 2025** को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों या पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में सर्व–साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा।

क्रमशः..............3

निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 1315/रा0नि0आ0अनु–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल।
6– महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
7– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
8– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
10–समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
11–निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।
12–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13–आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14–सूचना पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15–गार्ड फाइल

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

महत्वपूर्ण/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)
उत्तराखण्ड।

संख्या 1474/रा0नि0आ0–2/4282/2024 दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1218/रा.नि.आ.–2/2633/2019 दिनांक 26.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उम्मीदवारों के नाम निर्देशनों पत्रों का मूल्य, उम्मीदवारों की जमानत की धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

2. उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए **नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा** संबंधी आयोग के पत्र संख्या 1218/रा.नि.आ.–2/2633/2019 दिनांक 26.06.2019 को अवक्रमित करते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए **नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा** को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रू0)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सदस्य ग्राम पंचायत	150	75	300	150	10,000.00
2	उपप्रधान ग्राम पंचायत	210	105	750	375	15,000.00

3	प्रधान ग्राम पंचायत	300	150	1500	750	75,000.00
4	सदस्य क्षेत्र पंचायत	300	150	1500	750	75,000.00
5	सदस्य जिला पंचायत	450	225	3000	1500	2,00,000.00
6	कनिष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	75,000.00
7	ज्येष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	1,00,000.00
8	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	600	300	6000	3000	2,00,000.00
9	उपाध्यक्ष जिला पंचायत	750	375	6000	3000	3,00,000.00
10	अध्यक्ष जिला पंचायत	1500	750	12000	6000	4,00,000.00

उक्त दर तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः– 1474/ रा0नि0आ0–2/4282/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानी), उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

महत्वपूर्ण/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत)
उत्तराखण्ड।

संख्या 1474/रा0नि0आ0–2/4282/2024 दिनांक 6 दिसम्बर, 2024

विषयः– त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1218/रा.नि.आ.–2/2633/2019 दिनांक 26.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उम्मीदवारों के नाम निर्देशनों पत्रों का मूल्य, उम्मीदवारों की जमानत की धनराशि एवं उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।

2. उक्त संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा संबंधी आयोग के पत्र संख्या 1218/रा.नि.आ.–2/2633/2019 दिनांक 26.06.2019 को अवक्रमित करते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं अधिकतम व्यय सीमा को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रू0)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7
1	सदस्य ग्राम पंचायत	150	75	300	150	10,000.00
2	उपप्रधान ग्राम पंचायत	210	105	750	375	15,000.00

क्रमशः..........2

3	प्रधान ग्राम पंचायत	300	150	1500	750	75,000.00
4	सदस्य क्षेत्र पंचायत	300	150	1500	750	75,000.00
5	सदस्य जिला पंचायत	450	225	3000	1500	2,00,000.00
6	कनिष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	75,000.00
7	ज्येष्ठ उपप्रमुख	450	225	4500	2250	1,00,000.00
8	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	600	300	6000	3000	2,00,000.00
9	उपाध्यक्ष जिला पंचायत	750	375	6000	3000	3,00,000.00
10	अध्यक्ष जिला पंचायत	1500	750	12000	6000	4,00,000.00

उक्त दर तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः–1474/ रा0नि0आ0–2/4282/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचास्थानी), उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानी चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
11. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

महत्त्वपूर्ण

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 1475/रा0नि0आ0/अनु–2/4285/2024 दिनांक:– 06 दिसम्बर, 2024

–::आदेश::–

विषयः– राजनीति का अपराधीकरण–निर्वाचन प्रक्रिया में अपराधियों का प्रत्याशी के रूप में भाग लेना, अपराध के लिए सिद्ध–दोष ठहराये जाने पर अनर्हता, अपील तथा जमानत का प्रभाव के सम्बन्ध में।

चूँकि उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग का विचार है कि पंचायतों के निर्वाचन समाज विरोधी तत्वों के प्रभाव से डांवाडोल होते हैं, जिनकी अवैधानिक किया–कलाप का सहारा लेने और नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक उचित रूप से और शान्तिपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने की प्रवृत्ति है,

और चूँकि, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ये निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण ढंग से कराए जाएं, यह समीचीन है कि केवल सत्यनिष्ठा और आचरण वाले व्यक्तियों को ही उक्त निर्वाचन लड़ने की अनुमति दी जाए,

और चूँकि, उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) ऐसे व्यक्ति को, जिसे अधिनियम की धारा 8, 53 एवं 90 के खण्ड–(1)(क), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) और (ढ) में उल्लिखित अपराधों में से किसी अपराध के लिए अथवा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विहित अन्य किसी अपराध के लिए सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, ग्राम पंचायत का सदस्य एवं प्रधान, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का सदस्य के लिए अनर्हित करता है,

और चूँकि, आयोग ने इस प्रश्न का सावधानीपूर्वक परीक्षण और विचार किया है कि क्या ऐसा व्यक्ति जो कमशः संगत विधियों में से किसी विधि में उल्लिखित अपराधों के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है, उस अवधि में जब उसे जमानत पर मुक्त (रिहा) कर दिया गया हो और अपील या निगरानी के अनिर्णीत रहने की अवधि में दण्ड को स्थगित कर दिया हो, चुनाव लड़ सकता है,

और चूँकि, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह धारित किया है कि दोष–सिद्धि और दण्डादेश के विरूद्ध केवल अपील या निगरानी याचिका दायर करना और ऐसे सिद्ध–दोष ठहराए गए व्यक्तियों की जमानत पर रिहाई अथवा अपील या

क्रमशः..........2

निगरानी का निर्णय होने तक उसे दिए गए दण्ड का स्थगन मात्र दोष–सिद्धि और दण्ड का लोप नहीं करता अथवा उसे समाप्त नहीं करता और ऐसी दोष–सिद्धि इस बात के होते हुए भी कि चाहे सिद्ध–दोष ठहराया गया व्यक्ति अपील अथवा निगरानी के लम्बित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया हो अथावा नहीं, विचाराण न्यायालय द्वारा सिद्ध–दोष ठहराए जाने के दिनांक से प्रभावी हो जाती है,

और चूँकि, इन निर्वाचनों में निर्वाचन अधिकारियों को प्रभावी ढंग से नामांकनों की जॉच करने हेतु समर्थ बनाने की दृष्टि से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की दोष सिद्धि, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए समुचित अनुपूरक और आनुषंगिक उपबन्ध बनाना समीचीन है।

अब इसलिये उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 8, 53 एवं 90 के खण्ड–(1)(क), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड) और (ढ) तथा धारा 14, 59 एवं 96 के साथ पठित 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243–ट तथा उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा–131–झ(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण में होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में आयोग निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:–

उत्तराखण्ड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबन्ध) आदेश, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह आदेश उत्तराखण्ड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबन्ध) आदेश, 2024 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी द्वारा सूचना का दिया जाना 2. प्रत्येक व्यक्ति जो किसी पंचायत का निर्वाचन लड़ने के लिए प्रत्याशी होने के लिए नामांकन–पत्र दाखिल करता है, उसको अपने नामांकन–पत्र के साथ संलग्नक–दो में उल्लिखित सूचना के साथ संलग्नक–एक में एक शपथ–पत्र दाखिल करना होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में शपथ–पत्र के स्थान पर संलग्नक–तीन में एक घोषणा–पत्र दाखिल किया जा सकता है।

(सुशील कुमार),
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमशः..........3

संख्या–1475/रा0नि0आ0अनु0–2/4285/2024 तद्‌दिनांक।(ईमेल)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर 20 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संलग्नक–एक

समक्ष निर्वाचन अधिकारी

....(पदनाम) के निर्वाचन के लिए..

निर्वाचन क्षेत्र से

शपथ–पत्र

मैं ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..आयु

लगभग.................वर्ष, निवासी ग्राम...

एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिखित प्रतिज्ञान और घोषणा करता/करती हूँ:–

(1) यह कि मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन–पत्र दाखिल कर दिया है,

(2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में, मैं एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश, 2024 में अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

(3) यह कि विहित प्रपत्र में एतद्द्वारा संलग्न सूचना मेरी सम्यक् जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान..................................

दिनांक.................................

शपथी

मेरे समक्ष सत्यापित किया गया,
(मोहर सहित सत्यापित करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर)

संलग्नक–दो

....(पदनाम)का निर्वाचन ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत ....से प्रत्याशी का नाम और पता...

....

पिता/माता/पति का नाम..

1. क्या आप किसी विधि न्यायाल द्वारा किसी मामले में सिद्ध–दोष ठहराए गये हैं? : हॉ/नहीं

2. यदि हॉ, तो निम्नलिखित विवरण दीजिए:–

(एक) न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा सिद्ध–दोष ठहराए गए हैं :

(दो) दोष–सिद्धि का दिनांक :

(तीन) कारित अपराध की प्रकृति (संगत अधिनियम और धाराओं के विवरण सहित) :

(चार) दण्ड का विवरण :

(पॉच) कैद भोगने की अवधि, यदि कोई हो :

(छः) कारागार से रिहाई का दिनांक :

3. क्या उपर्युक्त दोष–सिद्धि के विरूद्ध कोई अपील/निगरानी दायर की गई थी : हॉ/नहीं

(एक) दायर की गई अपील/निगरानी की संदर्भ संख्या यदि कोई हो :

(दो) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/निगरानी दायर की गई थी :

(तीन) क्या उपर्युक्त अपील/निगरानी निस्तारित कर दी गई है अथवा लम्बित है :निस्तारित हो गई है/लम्बित है।

(चार) यदि निस्तारित हो गयी है तो,

(क) निस्तारण का दिनांक :

(ख) पारित आदेश की प्रकृति :

(पॉच) क्या अपील/निगरानी के लम्बित रहने की अवधि में कोई जमानत स्वीकृत की गई थी अथवा नहीं? : हॉ/नहीं

(छः) यदि हॉ, तो अवधि जिसमें जमानत पर रहे :

स्थान................................ प्रत्याशी का हस्ताक्षर

दिनांक...............................

संलग्नक–तीन

समक्ष निर्वाचन अधिकारी

ग्राम पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के लिए

ग्राम पंचायत का नाम...कक्ष संख्या...

घोषणा

मैं..

पुत्र/पुत्री/पत्नी..

आयु लगभग................वर्ष, निवासी ग्राम..

एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. यह कि मैंने उपर्युक्त निर्वाचन के लिए अपना नामांकन–पत्र दाखिल कर दिया है।
2. यह कि उपर्युक्त निर्वाचन की अपनी उम्मीदवारी के संबंध में, मैं एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पंचायत निर्वाचन (नामांकन के संबंध में अनुपूरक और आनुषंगिक उपबंध) आदेश, 2024 में अपेक्षित सूचना विहित प्रपत्र में प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
3. यह कि विहित प्रपत्र में एतद्द्वारा दी गई सूचना मेरी सम्यक् जानकारी और विश्वास में सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

स्थान.................................

दिनांक.................................

घोषणाकर्ता

मेरे समक्ष सत्यापित किया गया।
(मोहर सहित सत्यापित करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्थान..................................

ज्ञाप संख्या.................... दिनांक................................

प्रेषक,

निर्वाचन अधिकारी,

....

सेवा में,

....

(प्रत्याशी का नाम व पता)

विषयः– ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के कक्ष–संख्या.................................

से...(पदनाम) का निर्वाचन

आपका ध्यान..अधिनियम...

के उपबन्धों की ओर आकृष्ट किया जाता हैः–

1. इस बात का समाधान करने के लिए कि आप उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों में उल्लिखित अनर्हता से ग्रस्त नहीं हैं, एतद्द्वारा, आपसे संलग्न प्रपत्र में मांगी गयी सूचना, आपके द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा–पत्र जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के समक्ष सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ–पत्र द्वारा समर्थित हो उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है।
2. इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी दोषपूर्ण सूचना आपको समुचित विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाएगी।
3. इस बात का ध्यान रखा जाए कि अपेक्षित सूचना आप द्वारा नामांकन–पत्र के साथ अथवा किसी भी दशा में नामांकन–पत्रों की जॉच प्रारम्भ होने के पूर्व अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।

निर्वाचन अधिकारी

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–3036/रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांक 02 जनवरी, 2025

अधिसूचना

पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 2391/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की ग्राम पंचायत सेमी ग्वाड़ तथा अधिसूचना संख्या 2390/2024 दिनांक 19.12.2024 द्वारा जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत नवगठित ग्राम पंचायत पाटकोट, लछमपुर ठेरी एवं चोपड़ा की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण (Revision) किया जाना आवश्यक है।

अतः आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा–9 एवं उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत) के आलोक में जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी की नवगठित ग्राम पंचायत सेमी ग्वाड़ तथा जनपद नैनीताल के विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत नवगठित ग्राम पंचायत पाटकोट, लछमपुर ठेरी एवं चोपड़ा की निर्वाचक नामावलियों के विशेष विस्तृत पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की जाती है। इस पुनरीक्षण में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन द्वारा निर्धारित/निर्देशित हैः–

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना एवं प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डु लिपियां तैयार करना एवं पाण्डु लिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	04.01.2025 से 08.01.2025 तक	05 दिन
2–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	09.01.2025 से 10.01.2025	02 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जनसामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	11.01.2025	01 दिन
4. ड्राफ्ट निर्वचक नामावलियों का प्रकाशन।	13.01.2025	–
5. ड्राफ्ट निर्वचक नामावलियों का निरीक्षण /दावे तथा आपत्ति दाखिल करने की अवधि।	13.01.2025 से 19.01.2025 तक	07 दिन
6. दावे तथा अपत्तियों की जॉच/सुनवाई/ निस्तारण की अवधि	20.01.2025	–
7. पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री/मुद्रण एवं मूल सूची के साथ संलग्न करना।	21.01.2025	01 दिन
8. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	22.01.2025	–

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली एवं नैनीताल द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), जिला पंचायतराज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उक्त ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये डुग्गी पिटवाकर/संचार माध्यमों से सर्व–साधारण को इसकी सूचना दी जाय तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त कार्यक्रम को प्रकाशित व प्रसारित कराकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा। इस पुनरीक्षण के अन्तर्गत व्यवस्थित कर अद्यतन की गई निर्वाचक नामावलियाँ ही आगामी पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयोग की जायेंगी।

अतः उक्त हेतु अधिनियमित प्राविधान एवं तद्धीन प्रख्यापित नामावली तथा आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाय।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 3036 /रा0नि0आ0अनु–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली एवं नैनीताल।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, चमोली एवं नैनीताल।
11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, चमोली एवं नैनीताल।
12. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–3271/रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांक // जनवरी, 2025

अधिसूचना

पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2574/M-51-IX-PN/2025 दिनांक 04.01.2025 द्वारा विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बडेडा को पुर्नपरिसीमन के फलस्वरूप नगरपालिका से ग्राम पंचायत में सम्मिलित होने के उपरान्त ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में हुए आंशिक परिवर्तन की सूचना से आयोग को अवगत कराया गया है जिसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत बडेडा की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण (Revision) किया जाना आवश्यक है।

अतः आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा–9 एवं उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत) के आलोक में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड नरेन्द्रनगर की नवगठित **ग्राम पंचायत बडेडा** की निर्वाचक नामावली के विशेष विस्तृत पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की जाती है। इस पुनरीक्षण में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन द्वारा निर्धारित/निर्देशित है:–

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना एवं प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डु लिपियां तैयार करना एवं पाण्डु लिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	13.01.2025 से 17.01.2025 तक	05 दिन
2–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	18.01.2025	01 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जनसामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	19.01.2025	01 दिन
4. ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन।	20.01.2025	—
5. ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का निरीक्षण /दावे तथा आपत्ति दाखिल करने की अवधि।	21.01.2025 से 27.01.2025 तक	07 दिन
6. दावे तथा अपत्तियों की जॉच/सुनवाई/ निस्तारण की अवधि	28.01.2025	—
7. पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री/मुद्रण एवं मूल सूची के साथ संलग्न करना।	29.01.2025	01 दिन
8. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	30.01.2025	—

क्रमशः...............2

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत), जिला पंचायतराज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उक्त ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये डुग्गी पिटवाकर/संचार माध्यमों से सर्व–साधारण को इसकी सूचना दी जाय तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्रों में उक्त कार्यक्रम को प्रकाशित व प्रसारित कराकर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा। इस पुनरीक्षण के अन्तर्गत व्यवस्थित कर अद्यतन की गई निर्वाचक नामावलियॉं ही आगामी पंचायतों के सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयोग की जायेंगी।

अतः उक्त हेतु अधिनियमित प्राविधान एवं तद्धीन प्रख्यापित नियमावलियां तथा आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाय।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 3271/रा0नि0आ0अनु–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल।
11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या-3812/रा0नि0आ0-2/4240/2024 दिनांक 14 फरवरी, 2025

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2024-25 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1015 दिनांक 05.10.2024 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 1315 दिनांक 14.12.024 के द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया है तथा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावलियों को तैयार कर अन्तिम प्रकाशन दिनांक 17.01.2025 को कर दिया गया था।

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2751/M-51-IX-PN/2024-25 दिनांक 30.01.2025 में पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 266232 दिनांक 07.01.2025 के क्रम में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल की 02 ग्राम पंचायतों (सुन्दरखाल एवं देवकाण्डई) को विकास खण्ड पोखड़ा में सम्मिलित किये जाने पर प्रकरण की अंतिमीकरण रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 2477 दिनांक 25.01.2025 को संलग्न कर सूचना आयोग को उपलब्ध कराई गई है जिसके अनुसार विकास खण्ड बीरोंखाल की 02 ग्राम पंचायतों (सुन्दरखान एवं देवकाण्डई) को विकास खण्ड पोखड़ा में सम्मिलित किये जाने पर विकास खण्ड बीरोंखाल की क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कन्दोला, सैंधार, ढिस्वाणी एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सीली मल्ली, बमराडी व बाडाडांडा तथा विकास खण्ड पोखड़ा की क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बगडी, बासई, गडरी कोला तथा देवकाण्डई व जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र गडरी व पोखडा प्रभावित होने के कारण सम्मिलित ग्राम पंचायत निर्वाचक नामावलियां भी प्रभावित हुई हैं। उक्तानुसार क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में हुये परिवर्तन के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावलियों को अद्यतन कर तैयार कराया जाना आवश्यक हो गया है।

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 2780 दिनांक 01.02.2025 तथा पत्र संख्या 2779/M-51-IX-PN/2025 दिनांक 01.02.2025 में पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 249201/2024 दिनांक 25.10.2024 के क्रम में विकास खण्ड जसपुर की 'ग्राम पंचायत गढीनेगी' का 'नगर पंचायत गढीनेगी' में गठन होने के कारण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में हुए संशोधन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

क्रमशः............2

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 2657/ग्रा0पं0/पुनर्गठन–परिसीमन, 2024–25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पौड़ी की ग्राम पंचायत "वैधगांव" नगर निगम, श्रीनगर में सम्मिलित होने के कारण क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में हुए संशोधन के फलस्वरूप संबंधित ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या 2724/ग्रा0पं0/पुनर्गठन–परिसीमन, 2024–25 दिनांक 22.01.2025 द्वारा जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली की ग्राम पंचायत "धारकोट" से राजस्व ग्राम "भौति बेडुला" नगर पंचायत, नन्दप्रयाग में सम्मिलित होने के कारण ग्राम पंचायत में हुए संशोधन के फलस्वरूप ग्राम पंचायत "धारकोट" की निर्वाचक नामावलियों में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

संबंधित जनपद आगामी त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा–9 एवं उ0प्र0 पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत) के आलोक में निर्वाचक नामावलियॉ के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नवत समय–सारिणी निर्धारित की जाती है। इस पुनरीक्षण हेतु प्रचलित निर्वाचक नामावलियों को नवगठित/विलीन एवं प्रभावित ग्राम पंचायत के पुर्नगठन तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित करते हुये निम्न कार्यक्रमानुसार अद्यतन किया जायेगा:–

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1. पुर्नगठन/पुर्नपरिसीमन के अनुसार ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों को तैयार किया जाना	17.02.2025 से 20.02.2025	04 दिन
2. ड्राफ्ट निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन/निरीक्षण /दावे तथा आपत्ति दाखिल करने की अवधि	21.02.2025 से 27.02.2025	07 दिन
3. दावे तथा अपत्तियों की जॉच/सुनवाई/निस्तारण की अवधि	28.02.2025 से 01.03.2025	02 दिन
4. पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री/ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों को व्यवस्थित किया जाना	03.03.2025 से 05.02.2025	03 दिन
5. निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	06.03.2025	—

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/(पंचायत), जिला पचायतराज अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उक्त ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये ग्राम पंचायतों में डुग्गी पिटवाकर सर्व–साधारण को इसकी सूचना दी जाय तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु लोकप्रिय स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय टीवी चैनलों में उक्त कार्यक्रम को कम से कम दो तिथियों में प्रकाशित कर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय, उपजिलाधिकारी कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर भी यह कार्यक्रम

क्रमशः............3

चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा। इस पुनरीक्षण के अन्तर्गत व्यवस्थित कर अद्यतन की गई निर्वाचक नामावलियॉ ही आगामी पंचायत के सामान्य/उप निर्वाचनों में प्रयोग की जायेगी।

अतः उक्त हेतु अधिनियमित प्राविधान एवं तद्धीन प्रख्यापित नामावली तथा आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में निर्धारित कार्यक्रमानुसार कार्यवाही सम्पन्न करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/-
(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 3812 /रा0नि0आ0अनु--2/4240/2024 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या–3830 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 18 फरवरी, 2025

संशोधित अधिसूचना

जनपद पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली में निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0–3812 दिनांक 14.02.2025 द्वारा निर्धारित समय–सारिणी के कमांक 4–पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री/ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों को व्यवस्थित किया जाना में उल्लिखित "दिनांक 03.03.2025 से 05.02.2025" के स्थान पर "दिनांक 03.03.2025 से 05.03.2025" संशोधित पढ़ा जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0–3812 दिनांक 14.02.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाए।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः 3830 /रा0नि0आ0अनु–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
11. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, ऊधमसिंहनगर एवं चमोली।
12. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन धिकारी(पं0),
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

संख्या 3906/रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांकः– 25 फरवरी, 2025

विषयः–आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित आयोग के पत्र संख्या 3634 दिनांक 25.01.2025 एवं तत्संबंधी पत्र संख्या 3690 दिनांक 29.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने हेतु आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्संबंध में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) और खण्ड विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

1. विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के मतदाता सूची की 25 प्रतिशत तक रैंडम चेकिंग की जायेगी और निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि से मिलान किया जायेगा जिससे निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि में दर्ज किसी मतदाता का नाम न छूटे।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति यथा पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व और वर्तमान अधिकारी, पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री/मुख्यमंत्री आदि जो ग्राम पंचायत की सीमान्तर्गत सामान्यतः निवासी हों और अर्हता की शर्ते पूरी करते हों, का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से ना छूटे।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक के माध्यम से बैठक बुलाकर संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को प्रदर्शित किया जायेगा। बैठक में संबंधित संगणक भी उपस्थित रहेगें और उनके साथ पर्याप्त संख्या में फार्म – प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 उपलब्ध रहेगा। इच्छुक व्यक्ति को यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा और फार्म को भरकर जमा करने की स्थिति में संबंधित संगणक द्वारा इसे प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त किये गये फार्म/आवेदन को संगणक द्वारा अगले दिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के पास जमा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों का तीन दिन के भीतर निस्तारण करके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, नाम संशोधित करने की संस्तुति जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित करेगें। उक्त कार्य दिनांक 01 मार्च, 2025 से 15 मार्च, 2025 तक विशेष अभियान चलाकर किया जायेगा।
4. मतदाता सूची को आयोग तथा जनपदों की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा ।

क्रमशः........2

5. उक्त कार्यक्रम का पोस्टर तथा बैनर के माध्यम से विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

अतः आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या– 3906 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
3. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन धिकारी(पं0),
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

संख्या 3906/रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांकः– 26 फरवरी, 2025

विषयः–आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित आयोग के पत्र संख्या 3634 दिनांक 25.01.2025 एवं तत्संबंधी पत्र संख्या 3690 दिनांक 29.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने हेतु आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

तत्संबंध में आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0) और खण्ड विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगीः–

1. विकास खण्ड स्तर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत के मतदाता सूची की 25 प्रतिशत तक रैंडम चेकिंग की जायेगी और निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि से मिलान किया जायेगा जिससे निर्वाचक नामावली की पाण्डुलिपि में दर्ज किसी मतदाता का नाम न छूटे।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी गणमान्य व्यक्ति यथा पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व और वर्तमान अधिकारी, पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री/मुख्यमंत्री आदि जो ग्राम पंचायत की सीमान्तर्गत सामान्यतः निवासी हों और अर्हता की शर्तें पूरी करते हों, का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज होने से ना छूटे।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रशासक के माध्यम से बैठक बुलाकर संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची को प्रदर्शित किया जायेगा। बैठक में संबंधित संगणक भी उपस्थित रहेगें और उनके साथ पर्याप्त संख्या में फार्म – प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 उपलब्ध रहेगा। इच्छुक व्यक्ति को यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा और फार्म को भरकर जमा करने की स्थिति में संबंधित संगणक द्वारा इसे प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त किये गये फार्म/आवेदन को संगणक द्वारा अगले दिन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के पास जमा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों का तीन दिन के भीतर निस्तारण करके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, नाम संशोधित करने की संस्तुति जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अनुमोदन हेतु आयोग को प्रेषित करेगें। उक्त कार्य दिनांक 01 मार्च, 2025 से 15 मार्च, 2025 तक विशेष अभियान चलाकर किया जायेगा।
4. मतदाता सूची को आयोग तथा जनपदों की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा ।

क्रमशः........2

5. उक्त कार्यक्रम का पोस्टर तथा बैनर के माध्यम से विकास खण्ड तथा ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

अतः आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या–3906 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
3. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

प्रेषक,

प्रभारी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0/नजूल),
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंहनगर।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांक– २२२ /पं0निर्वा0/रूट चार्ट/सूचना/2025, दिनांक– 11 जून,2025

विषय– त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 हेतु रूट चार्ट की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद में कुल–07 विकास खण्ड है तथा समस्त विकास खण्डों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 हेतु तैयार किये गये रूट चार्ट कार्यालय में उपलब्ध करा दिये गये है।

सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0/नजूल),
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंहनगर।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी,ऊधमसिंहनगर।

प्रभारी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0/नजूल),
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंहनगर।

शीर्ष प्राथमिकता/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन धिकारी(पं0),
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

संख्या 4010 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांकः– 10 मार्च, 2025

विषयः–आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या 3906 दिनांक 25.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने हेतु जनपदों में दिनांक 01 मार्च, 2025 से 15 मार्च, 2025 तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में आयोग द्वारा सम्यक विचारणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष अभियान की समयावधि को विस्तारित करते हुए दिनांक 01 मार्च, 2025 से 22 मार्च, 2025 तक संशोधित किया जाता है।

कृपया आयोग के उक्त पत्र दिनांक 25.02.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या– —— /रा0नि0आ0–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
3. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
4. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

शीघ्र प्राथमिकता/ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन धिकारी(पं0),
उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोडकर)

संख्या 4010 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 देहरादून दिनांकः– 10 मार्च, 2025

विषयः–आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावलियों की तैयारी।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या 3906 दिनांक 25.02.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की त्रुटिहीन, शुद्ध एवं परिपूर्ण निर्वाचक नामावलियां तैयार कराये जाने हेतु जनपदों में दिनांक 01 मार्च, 2025 से 15 मार्च, 2025 तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस संबंध में आयोग द्वारा सम्यक विचारणोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष अभियान की समयावधि को विस्तारित करते हुए दिनांक 01 मार्च, 2025 से 22 मार्च, 2025 तक संशोधित किया जाता है।

कृपया आयोग के उक्त पत्र दिनांक 25.02.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या– 4010 /रा0नि0आ0–2/4240/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
3. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
4. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

निर्वाचन आवश्यक/ई0मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 4031/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 11 मार्च, 2025

::आदेश::

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्रस्तर–7 में निम्नवत् प्राविधान है:–

"**7. नामावली में रजिस्ट्रीकरण, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए आवेदन शुल्क**– विनिर्दिष्ट अवधि में नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन पत्र पर एक रूपया प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जायेगी और और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुये शुल्क की धनराशि अगले दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा शीर्षक "0515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतराज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां–03–स्थानीय निकाय के निर्वाचन से प्राप्तियां" में अनिवार्य रूप से जमा की जायेगी।"

अतः व्यापक जनहित के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के **प्रस्तर–7** को एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा व पढ़ा जाय।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या–4031/रा0नि0आ0–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड।
3. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

Election Urgent

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0),
उत्तराखण्ड।

संख्या– 3216 /रा0नि0आ0–क0प्रो0/1360/2012 दिनांक 9 जनवरी, 2025

विषयः– नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या–1157/रा0नि0आ0–1410(1)/2024 दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन–2024 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के सहयोग से तैयार सॉफ्टवेयर में मतदान/मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गए थे।

उक्त के साथ–साथ मतगणना मे कार्मिकों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैनात/नियुक्त किये जाने हेतु निम्न निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1 मतदान/मतगणना में कार्मिकों की तैनाती हेतु तैयार सॉफ्टवेयर में मतदान एवं मतगणना कार्मिको को पृथक–पृथक से सॉफ्टवेयर में अंकित किए जाने का प्राविधान दिया गया है जिससे मतदान एवं मतगणना कार्मिकों को ड्यूटी हेतु अलग–अलग दो भागों (मतदान एवं मतगणना) में वर्गीकृत किया जा सके, साथ ही मतदान हेतु अंकित किये गए कार्मिकों को जिनकी तैनाती मतदान मे नहीं की गई है को मतगणना हेतु ट्रान्सफर किये जाने का प्राविधान है।

2. मतगणना कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक टेबल में एक मतगणना सुपरवाईजर व तीन मतगणना सहायकों को लगाये जाने का प्राविधान सॉफ्टवेयर में किया गया है।

3. मतगणना दलों का रैंडमाइजेशन निम्नानुसार तीन चरणों में सम्पादित किया जायेगा।

(i) **प्रथम रैंडमाइजेशन में** उपलब्ध कार्मिकों में से मतगणना कार्य हेतु कार्मिकों का रैंडम तकनीक से चयन कर उन्हें Unique Identity दी जायेगी तथा प्रथम **रैंडमाइजेशन की तिथि का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा अपनी सुविधानुसार ससमय किया जायेगा।**

(ii) **द्वितीय रैंडमाइजेशन में** मतगणना कार्य हेतु चयनित कार्मिकों को रैंडम तकनीक से निकाय, मतगणना स्थल, मतगणना पार्टी संख्या आवंटित की जायेगी तथा मतगणना हेतु दिये गये दायित्व से अवगत कराते हुए नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। द्वितीय **रैंडमाइजेशन की तिथि का निर्धारण भी जिलाधिकारी द्वारा अपनी सुविधानुसार ससमय किया जायेगा।**

(iii) तृतीय रेंडमाइजेशन में द्वितीय रेंडमाइजेशन में गठित मतगणना दलों (मतगणना सुपरवाईजर एवं मतगणना सहायक) को रैंडम तकनीक से टेबिल संख्या आवंटित की जायेगी और मतगणना दलों को टेबल संख्या की यह सूचना एवं ड्यूटी आदेश मतगणना के दिन ही दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्याः– /रा0नि0आ0–क0प्रो0/1360/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड को मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के कृपया अवलोकनार्थ।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचायस्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
4. अनुभाग–3 (नागर स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
सचिव।

Election Urgent

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था0नि0),
उत्तराखण्ड।

संख्याः–3088/रा0नि0आ0–क0प्रो0/1956/2015 दिनांक 5 जनवरी, 2025

विषयः– नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2024 हेतु मतगणना रूझानों/परिणामों को इन्टरनेट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि आयोग द्वारा नगर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2024 के मतगणना परिणामों को जनसामान्य हेतु इंटरनेट पर प्रदर्शित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आयोग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। समस्त प्रक्रिया त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर में आयोग तथा जनपद एवं निकाय स्तर पर निम्नवत प्राविधान किए गए हैं:–

1. सर्वप्रथम तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में निम्नानुसार चार स्तर की लॉगइन आई0डी0 का प्राविधान है:–
   - आयोग स्तर पर लॉगइन आईडी (राज्य निर्वाचन आयोग के उपयोगार्थ)।
   - जिला स्तर पर लॉगइन आईडी (जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के उपयोगार्थ जिसे आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा)।
   - कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर लॉगइन आई0डी0 (मतगणना स्थल पर जिलाधिकारी द्वारा नामित सक्षम अधिकारी के उपयोगार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी)।
   - कॉउटिंग ऑपरेटर (जिलाधिकारी द्वारा नामित सक्षम कार्मिक के उपयोगार्थ कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा तैयार की जाएगी)।
2. उपरोक्त चार स्तरों की लॉगइन आई0डी0 के कार्यों एवं दायित्वों का विवरण **"अनुलग्नक–क"** में दिया गया है।
3. सम्पूर्ण प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने के लिए जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एक नोडल अधिकारी को नामित करेंगे जिनके द्वारा आयोग एवं जनपद के मध्य समन्वय किया जायेगा।
4. उक्त सॉफ्टवेयर में एक जनपद में एक से अधिक काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का प्राविधान किया गया है। साथ ही सॉफ्टवेयर में एक काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर को एक से अधिक निकाय सौंपने के लिए अतिरिक्त लॉगइन आई0डी0 बनायें जाने का प्रविधान है।
5. काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगईन में उम्मीदवार/प्रत्याशी के सम्बन्ध में परिशिष्ट–14 के अनुसार सूचना प्रविष्टि किये जाने का प्रविधान है जिसे सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) से अनुमोदित करवाकर फ्रीज किया जाए।

क्रमशः.........2

6. प्रत्येक बूथ पर प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त मतों की प्रविष्टियां कॉउटिंग ऑपरेटर द्वारा बूथवार की जायेगी जिसे कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के अनुमोदन के उपरान्त ट्रेंड के रूप में पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें संबंधित वार्ड/निकाय के लीडिंग एवं प्रथम रनर–अप उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम एवं आवंटित प्रतीक प्रदर्शित होगा। मतगणना के दौरान उक्त सूचना प्रत्येक तीन (03) घण्टे के उपरान्त की जाएगी।
7. प्रत्येक वार्ड या निकाय जैसी भी स्थिति हो, के सभी बूथों का अंतिम परिणाम निर्धारित हो जाने पर कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मतगणना परिणामों को अंतिम परिणाम प्रदर्शित करने हेतु सॉफ्टवेयर में अनुमति दी जाएगी। परन्तु काउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा यह अनुमति अपनी संतुष्टि एवं निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर के उपरान्त ही जारी की जायेगी। निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) द्वारा अन्तिम परिणाम का सत्यापन आवश्यक होगा।
8. कॉउटिंग ऑपरेटर द्वारा की गयी डाटा एन्ट्री में पाई गयी संख्या की लिपिकीय त्रुटियोंको सुधारने हेतु काउंटिंग एडमिन डाटा इंट्री को वापस सम्बन्धित काउंटिंग ऑपरेटर को भेज सकता है। इसके अतिरिक्त कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के अनुमोदन के उपरान्त कोई संख्या की लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है तो इसके सुधार हेतु काउंटिंग एडमिन अनुरोध भेजेगा जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित अधिकारी की लॉगइन आई0डी0 से स्वीकृत किया जा सकता है जिसके उपरान्त काउंटिंग ऑपरेटर व एडमिन द्वारा डाटा एन्ट्री को सही करने का प्रविधान है।
9. प्रत्येक 03 घण्टे में जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (सम्पूर्ण निकाय या वार्ड) का अंतिम परिणाम निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) द्वारा घोषित किया जाए उन अंतिम परिणामों को कांउटिंग एडमिन निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) की अनुमति से जनसामान्य को प्रदर्शित किये जाने हेतु सबमिट करेगा। सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (आर0ओ0) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके द्वारा घोषित परिणाम में प्रत्येक प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या एवं सॉफ्टवेयर में की गई डाटा इंट्री में कोई अंतर न हो।
10. सभी जनपदों द्वारा जनपद स्तर पर मतगणना स्थलवार यथाशीघ्र एक **कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर** नामित कर लिया जाय, तथा इस अधिकारी के साथ उक्त कार्यों को सफलता पूर्वक सम्पादित करने के लिए आवश्यकतानुसार कॉउटिंग ऑपरेटर/अन्य मानव संसाधन नियुक्त कर लिया जाय।
11. सभी मतगणना स्थलों पर इंटरनेट की सुदृढ़, सुचारू व्यवस्था कर ली जाय तथा व्यवधान होने पर वैकल्पिक इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी प्रबंध हो।
12. जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारी त्रुटिरहित एवं समयबद्ध सम्प्रेषण सुनिश्चित कराये जाने हेतु यथाआवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
13. सम्प्रेषण हेतु सभी उपकरणों यथा कंप्यूटर, प्रिन्टर, फैक्स, टेलीफोन, स्टेशनरी इत्यादि की व्यवस्था ससमय आवश्यकतानुसार करा ली जाय।
14. उपरोक्तानुसार सभी दलों द्वारा मतगणना से पूर्व आवश्यक रूप से सम्प्रेषण का अभ्यास (Rehersal/Trial Run) आयोग द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर किया जायेगा जिसके लिए तिथि अलग से निर्धारित कर प्रेषित कर दी जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का अनुपालन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–"अनुलग्नक–क"

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

संख्या:–3088/रा0नि0आ0–क0प्रो0/1956/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को मा0 आयुक्त महोदय के कृपया अवलोकनार्थ।
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

- आयोग स्तर की लॉग—इन आई0डी0।
  - जिला एडमिन एवं उसकी लॉगइन आई0डी0 बनाना।
  - पदों/स्थानों के आरक्षण के प्रकार, राजनीतिक पार्टी, चुनाव चिन्ह का मास्टर तैयार करना।
- जिला स्तर की लॉगइन आईडी।
  - कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर एवं उसकी लॉगइन आई0डी0 बनाया जाना।
  - डाटा इंट्री की त्रुटियों के सुधार हेतु कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा भेजे गये अनफ्रीजिंग अनुरोध को स्वीकृत/अस्वीकृत करना।
  - पिंक बूथ को चिन्हित करना।
- कॉउटिंग एडमिनिस्ट्रेटर की लॉगइन आई0डी0।
  - कॉउटिंग ऑपरेटर एवं उसकी लॉगइन आई0डी0 बनाना।
  - प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (सम्पूर्ण निकाय या वार्ड) हेतु नगर प्रमुख/अध्यक्ष एवं सभासद/सदस्य के पदों/स्थानों का आरक्षण अंकित करना।
  - प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (सम्पूर्ण निकाय या वार्ड) हेतु नगर प्रमुख/अध्यक्ष एवं सभासद/सदस्य के प्रत्याशियों को सॉफ्टवेयर में परिशिष्ट–14 के अनुसार अंकित कर कमबद्ध करना।
  - कॉउटिंग ऑपरेटर द्वारा की गई डाटा इंट्री को स्वीकृत/अस्वीकृत करना।
  - प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (सम्पूर्ण निकाय या वार्ड) हेतु नगर प्रमुख/अध्यक्ष एवं सभासद/सदस्य के प्रत्याशियों का फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करना।
- कॉउटिंग ऑपरेटर की लॉगइन आई0डी0।
  - नगर प्रमुख/अध्यक्ष एवं सभासद/सदस्य के प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का बूथवार डाटा फीड करना।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

2015(02)

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः— 18 /रा0नि0आ0—ले0/4140/2023 दिनांक 03/04/2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु अनुदान संख्या—005, लेखाशीर्षक—2015—निर्वाचन—00—आयोजनेत्तर—109—पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—02—राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि रू0 11,53,901.00 (रू0 ग्यारह लाख, तिरपन हजार, नौ सौ एक मात्र) का समर्पण ऑनलाईन कर संलग्नक आवंटन आई0डी सं0—HS25030050002 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक आवंटन आई0डी0 सं0—HS25030050002 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा रू0 11,53,901.00 (रू0 ग्यारह लाख, तिरपन हजार, नौ सौ एक मात्र) को समर्पण किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोक्त

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या— 18 /रा0नि0आ0—लेखा/4140/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-31/Mar/2025 07:15 PM

Signature valid

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 31-03-2025 19:15:33

IFMS Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2024-2025)

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - HS25030050002

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	02	राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु)
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	01-वेतन	0	216598	-216598
2	02-मजदूरी	0	25596	-25596
3	03-महंगाई भत्ता	0	606503	-606503
4	04-यात्रा व्यय	0	682	-682
5	08-पारिश्रमिक	0	20024	-20024
6	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	59645	-59645
7	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	17600	-17600
8	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	20027	-20027
9	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	51577	-51577
10	22-कार्यालय व्यय	0	881	-881
11	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	1000	-1000
12	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	24267	-24267
13	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	54848	-54848
14	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	20186	-20186
15	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	33396	-33396
16	30-आतिथ्य व्यय	0	1064	-1064
17	51-अनुरक्षण	0	7	-7
	योग	0	1153901	-1153901

Total Current Surrender by HOD In Above Schemes - Rs. 11,53,901 (Rupees Eleven Lacs Fifty Three Thousand Nine Hundred One Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2503:0001

Approval Status : e-Sign letter

संख्या–276956/ई–49240/2025 FC/लेखा

प्रेषक,

पन्ना लाल शुक्ला,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 19 फरवरी, 2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1516, दिनांक–10 दिसम्बर, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष–2024–25 में अनुदान संख्या–005 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक में किए गये प्रस्तावानुसार उपलब्ध बचतों में संलग्न **बी.एम.–9** के अनुसार कुल **रू0 13,27,000/– (रू0 तेरह लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। वित्तीय उपबन्धों तथा प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर संबंधित आहरण–वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर शासन को ससमय उपलब्ध कराई जाय।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–005 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2015 के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः**275918**/XXVII-4/2024 दिनांक 14 फरवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नकः– <u>अलोटमेंट आईडी।</u>

भवदीय,
Signed by
Panna Lal Shukla
Date: 19-02-2025 13:07:02
(पन्नी लाल शुक्ला)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—</u>

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2— निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।

3— वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23—लक्ष्मी रोड, देहरादून।

4— मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

5— बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।

6— वित्त अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।

7— गार्ड फाईल।

Signed by
Vimala Dhapwal
Date: 19-02-2025 13:34:26

(विमला धपवाल)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -49240
अनुदान संख्या -005

आवंटन आई डी-S25020050001
आवंटन पत्र दिनांक-19-FEB-2025

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन
109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार
00--

00--
02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु)

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
04-यात्रा व्यय	100000	70000	0	170000
08-पारिश्रमिक	3150000	450000	0	3600000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	500000	50000	0	550000
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	400000	29000	0	429000
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	500000	715000	0	1215000
51-अनुरक्षण	2000000	13000	0	2013000
योग	6650000	1327000	0	7977000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.13,27,000 (Rupees Thirteen Lacs Twenty Seven Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

C

FC/लेखा

संख्या /2024/XII(1)/E-75486

प्रेषक,

युगल किशोर पंत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उपायुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक अक्टूबर, 2024

विषय:– वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्रावधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–872/रा0नि0आ0–ले0/4410/2023 दिनांक 18.09.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या–05 लेखाशीर्षक–2015–00–109–02–00 के मानक मद–29–गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईधन आदि की खरीद हेतु प्रावधानित रू0 2,00,000.00/–(रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल स्वीकृत एवं अनुमोदित मदों पर ही आवंटित सीमा तक किया जाये। स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(ii) उक्त आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 111469 दिनांक 22 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 238662 दिनांक 10 सितम्बर, 2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–201358, दिनांक 22 मार्च, 2024 के द्वारा प्रतिनिधानित व्यवस्थान्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

2– इस संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–05, के अन्तर्गत संलग्न आई0डी0 में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
(युगल किशोर पंत)
अपर सचिव।
Date: 22-10-2024 12:09:02

संख्या– (1)/ E-75486/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग–4/वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by
Vimala Dhapwal
Date: 23-10-2024 12:54:12
(विमला धपवाल)
अनु सचिव

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024 - 2025)

Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -75486
अनुदान संख्या -005

आवंटन आई डी-S24100050002
आवंटन पत्र दिनांक-23-OCT-2024

लेखा शीर्षक	2015-निर्वाचन	00--
	109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु)
	00--	Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	300000	200000	0	500000
योग	300000	200000	0	500000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,00,000 (Rupees Two Lacs Only)
Approval Status : APPROVED BY OFFICER

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

उपायुक्त/
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- 60 /रा0नि0आ0-लेखा/4140/2023 दिनांक 16.4.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक 2015-00-109-02 के अन्तर्गत धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है।

उक्त शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि को संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0- H24040050056 दिनांक 16.04.2024 के अनुसार रू0 94.91 लाख (रू0 चौरानब्बे लाख, इकानबे हजार मात्र) राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड-2961 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नकः-आई0डी0(1)

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 60 /रा0नि0आ0-लेखा/4140/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड़, देहरादून को को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण कोड संख्या 2961 में फीड कराने का कष्ट करें।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/Apr/2024 02:59 PM

IFMS
...akhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-04-2024 15:00:33

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
आवंटन आई डी - H24040050056
अनुदान संख्या - 005
आवंटन पत्र दिनांक - 16-APR-2024
लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	02	राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय निकायों आदि हेतु)
00	0 -		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	120000	0	120000
2	04-यात्रा व्यय	0	100000	0	100000
3	08-पारिश्रमिक	0	3150000	0	3150000
4	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	100000	0	100000
5	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	20000	0	20000
6	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
7	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	500000	0	500000
8	22-कार्यालय व्यय	0	700000	0	700000
9	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	1000	0	1000
10	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	1000000	0	1000000
11	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	1000000	0	1000000
12	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	300000	0	300000
13	30-आतिथ्य व्यय	0	100000	0	100000
14	51-अनुरक्षण	0	2000000	0	2000000
	योग	0	9491000	0	9491000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 94,91,000 (Rupees Ninety Four Lacs Ninety One Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2404:0001

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः– 19 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 03-04-2025

विषयः **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना का प्रेषण।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि रू0 28,51,12,329.00 (रू0 अठाईस करोड, इकावन लाख, बारह हजार, तीन सौ उनतीस मात्र) का समर्पण ऑनलाईन कर संलग्नक आवंटन आई0डी सं0–HS25030050003 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक आवंटन आई0डी0 सं0–HS25030050003 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा रू0 28,51,12,329.00 (रू0 अठाईस करोड, इकावन लाख, बारह हजार, तीन सौ उनतीस मात्र) को समर्पण किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोक्त

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 19 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-31/Mar/2025 07:22 PM

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 31-03-2025 19:22:20

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secreatary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 005

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - HS25030050003

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2025

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	01-वेतन	0	389068	-389068
2	02-मजदूरी	0	7687749	-7687749
3	03-महंगाई भत्ता	0	288678	-288678
4	04-यात्रा व्यय	0	102942443	-102942443
5	06-अन्य भत्ते	0	55360	-55360
6	07-मानदेय	0	49181758	-49181758
7	08-पारिश्रमिक	0	1240874	-1240874
8	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	13000	-13000
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	36182811	-36182811
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	378542	-378542
11	22-कार्यालय व्यय	0	2075425	-2075425
12	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	552298	-552298
13	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	462296	-462296
14	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	1136355	-1136355
15	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	168500	-168500
16	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	38977630	-38977630
17	42-अन्य विभागीय व्यय	0	43379542	-43379542
	योग	0	285112329	-285112329

Total Current Surrender by HOD in Above Schemes - Rs. 28,51,12,329 (Rupees Twenty Eight Crores Fifty One Lacs Twelve Thousand Three Hundred Twenty Nine Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2503:0002

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल / स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
अल्मोड़ा।

पत्रांक : 233/रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक 11.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 125.70 लाख (रू0 एक करोड़, पच्चीस लाख, सत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-233/रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 01:09 PM

Signature valid
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 13:09:35

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Almora(3700)
DDO-Officer Incharge Panchisthani ElectionAlmora(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050001

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	5000000	0	5000000
3	07-मानदेय	0	1500000	0	1500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	1180000	0	1180000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
8	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2000000	0	2000000
9	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2500000	0	2500000
	योग	0	12570000	0	12570000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,25,70,000 (Rupees One Crore Twenty Five Lacs Seventy Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0015

Approval Status : e-Sign letter

ईमेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 132.00 लाख (रू0 एक करोड़, बत्तीस लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 01:00 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemchandera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 13:01:20

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050002

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	4800000	0	4800000
3	07-मानदेय	0	2400000	0	2400000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	800000	0	800000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
7	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
8	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2400000	0	2400000
9	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2400000	0	2400000
	योग	0	13200000	0	13200000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,32,00,000 (Rupees One Crore Thirty Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0016

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल-स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
नैनीताल।

पत्रांक : 223 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 147.70 लाख (रू0 एक करोड़, सैंतालिस लाख, सत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या–223/रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 12:47 PM

IFMS Uttarakhand

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:47:37

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Nainital(3600)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050004

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015 निर्वाचन		00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	5400000	0	5400000
3	07-मानदेय	0	2700000	0	2700000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	900000	0	900000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	20000	0	20000
6	22-कार्यालय व्यय	0	50000	0	50000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2700000	0	2700000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2700000	0	2700000
	योग	0	14770000	0	14770000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,47,70,000 (Rupees One Crore Forty Seven Lacs Seventy Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0018

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135–2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचायत चुनावालय,
बागेश्वर।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 62.00 लाख (रू0 बासठ लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–223/रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:35 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemchandera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:36:50

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Bageshwar(8900)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Bageswar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050005

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	2100000	0	2100000
3	07-मानदेय	0	1100000	0	1100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
7	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
8	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1100000	0	1100000
9	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1100000	0	1100000
	योग	0	6200000	0	6200000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 62,00,000 (Rupees Sixty Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0019

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पिथौरागढ़।

पत्रांक : 233 / रा0नि0आ0–ले0 / 4141 / 2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 115.91 लाख (रू0 एक करोड़, पंद्रह लाख, इकानब्बे हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 / रा0नि0आ0–लेखा / 4141 / 2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 12:34 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:34:44

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Pithoragarh(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050006

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	5400000	0	5400000
3	07-मानदेय	0	2700000	0	2700000
4	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	1000	0	1000
5	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	900000	0	900000
6	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
7	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
9	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	200000	0	200000
10	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1500000	0	1500000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
	योग	0	11591000	0	11591000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,15,91,000 (Rupees One Crore Fifteen Lacs Ninety One Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0020

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चम्पावत।

पत्रांक : 223/रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक। 16.05.2024

विषयः-- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 76.15 लाख (रू0 छिहत्तर लाख, पंद्रह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-223/रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 12:58 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:59:24

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Champawat(8800)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Champawat(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050003

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	2700000	0	2700000
3	07-मानदेय	0	1400000	0	1400000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	450000	0	450000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	25000	0	25000
6	22-कार्यालय व्यय	0	50000	0	50000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	40000	0	40000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1400000	0	1400000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1300000	0	1300000
	योग	0	7615000	0	7615000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 76,15,000 (Rupees Seventy Six Lacs Fifteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0017

Approval Status : e-Sign letter

इन्क्लो. ल्पीड. प्रोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
उत्तरकाशी।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 112.00 लाख (रू0 एक करोड़, बारह लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-233 /रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 01:18 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 13:19:15

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Uttarkashi(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050007

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	4100000	0	4100000
3	07-मानदेय	0	2100000	0	2100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	700000	0	700000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2000000	0	2000000
7	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2000000	0	2000000
	योग	0	11200000	0	11200000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,12,00,000 (Rupees One Crore Twelve Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0021

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/वेब-पोर्टल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चमोली।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक। 16.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 165.30 लाख (रू0 एक करोड़, पैंसठ लाख, तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-233 /रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:24 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:25:09

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Gopeshwar(4000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050008

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	6100000	0	6100000
3	07-मानदेय	0	3100000	0	3100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	900000	0	900000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	40000	0	40000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	3000000	0	3000000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3000000	0	3000000
	योग	0	16530000	0	16530000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,65,30,000 (Rupees One Crore Sixty Five Lacs Thirty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0022

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख, चालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:23 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:23:44

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Rudraprayag(9000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Rudraprayag(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050009

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	2100000	0	2100000
3	07-मानदेय	0	1100000	0	1100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1100000	0	1100000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1100000	0	1100000
	योग	0	6240000	0	6240000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 62,40,000 (Rupees Sixty Two Lacs Forty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0023

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 260.40 लाख (रू0 दो करोड़, साठ लाख, चालीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:21 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:21:35

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Garhwal(4200)

DDO-Officer Incharge Panchaisthani Election Pauri (2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050010

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	10000000	0	10000000
3	07-मानदेय	0	5000000	0	5000000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	1600000	0	1600000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	4000000	0	4000000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	5000000	0	5000000
	योग	0	26040000	0	26040000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,60,40,000 (Rupees Two Crores Sixty Lacs Forty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0024

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 168.90 लाख (रू0 एक करोड़, अड़सठ लाख, नब्बे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- /रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 12:17 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemchandera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:17:45

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-New Tehri(6100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050011

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	500000	0	500000
2	04-यात्रा व्यय	0	6100000	0	6100000
3	07-मानदेय	0	3100000	0	3100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	900000	0	900000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
10	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	3000000	0	3000000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3000000	0	3000000
	योग	0	16890000	0	16890000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,68,90,000 (Rupees One Crore Sixty Eight Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0025

Approval Status : e-Sign letter

हे0 केन्द्र/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
हरिद्वार।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 12.10 लाख (रू0 बारह लाख, दस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:13 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:13:21

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Haridwar(6500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Haridwar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050012

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	20000	0	20000
2	04-यात्रा व्यय	0	200000	0	200000
3	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	200000	0	200000
4	22-कार्यालय व्यय	0	20000	0	20000
5	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	570000	0	570000
6	42-अन्य विभागीय व्यय	0	200000	0	200000
	योग	0	1210000	0	1210000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 12,10,000 (Rupees Twelve Lacs Ten Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0026

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
देहरादून।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0-ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 114.60 लाख (रू0 एक करोड़, चौदह लाख, साठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-205001 दिनांक 12.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या-233 /रा0नि0आ0-लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-16/May/2024 12:11 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 12:11:37

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Dehradun(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050050013

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	200000	0	200000
2	04-यात्रा व्यय	0	4100000	0	4100000
3	07-मानदेय	0	2100000	0	2100000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	670000	0	670000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	40000	0	40000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	50000	0	50000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
10	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2100000	0	2100000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2000000	0	2000000
	योग	0	11460000	0	11460000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,14,60,000 (Rupees One Crore Fourteen Lacs Sixty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0027

Approval Status : e-Sign letter

स्पीड-पोस्ट/ई-मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी।

पत्रांक : 324/रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 04/06/24

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत मानक मद 02–मजदूरी में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी का पत्र संख्या–49 दिनांक 21.05.2024 के क्रम में अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मानक मद 02–मजदूरी में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार पूर्व में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त रू0 1.60 लाख (रू0 एक लाख, साठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 324/रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-04/Jun/2024 02:25 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemchandra Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 04-06-2024 14:25:35

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-New Tehri(6100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 005

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24060050001

आवंटन पत्र दिनांक - 04-JUN-2024

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	500000	160000	0	660000
	योग	500000	160000	0	660000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,60,000 (Rupees One Lac Sixty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2406:0001

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

...2253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चमोली।

पत्रांक : 92/रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 24.04.2024

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत मानक मद 08–पारिश्रमिक में धनराशि का आवंटन।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से मानक मद 08–पारिश्रमिक में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 06.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या– 92/रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-25/Apr/2024 02:29 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-04-2024 14:29:40

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24040050058

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 24-APR-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	0		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	08-पारिश्रमिक	0	600000	0	600000
	योग	0	600000	0	600000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 6,00,000 (Rupees Six Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2404:0003

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 233 /रा0नि0आ0–ले0/4141/2023 दिनांक 16.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 524.00 लाख (रू0 पांच करोड़, चौबीस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–205001 दिनांक 12.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–233 /रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून को को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण अधिकारी कोड संख्या 2961 में फीड कराने का कष्ट करें।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-16/May/2024 01:11 PM

Signature valid
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 16-05-2024 13:11:44

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 005

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24050050014

आवंटन पत्र दिनांक - 15-MAY-2024

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	-		

2 0 1 5 0 0 1 0 9 0 3 0 0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	0	3000000	0	3000000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	40000000	0	40000000
3	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	200000	0	200000
4	42-अन्य विभागीय व्यय	0	9200000	0	9200000
	योग	0	52400000	0	52400000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 5,24,00,000 (Rupees Five Crores Twenty Four Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0028

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
नैनीताल।

दिनांक 24.04.2024

पत्रांक : 92/रा0नि0आ0–ले0/4141/2023

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2015–00–109–03 के अन्तर्गत मानक मद 08–पारिश्रमिक में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–005, लेखाशीर्षक–2015–निर्वाचन–00–आयोजनेत्तर–109–पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार–03–राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से मानक मद 08–पारिश्रमिक में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 92/रा0नि0आ0–लेखा/4141/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-25/Apr/2024 02:32 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Hem[illegible]dera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-04-2024 14:33:05

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Nainital(3600)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24040050057

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 24-APR-2024

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	-
109	पंचायतों /स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	0		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	08-पारिश्रमिक	0	1000000	0	1000000
	योग	0	1000000	0	1000000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2404:0002

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

2217

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांकः– 20 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 03/04/25

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि रू0 5,66,38,761.00 (रू0 पांच करोड, छियासठ लाख, अड़तीस हजार, सात सौ इकसठ मात्र) का समर्पण ऑनलाईन कर संलग्नक आवंटन आई0डी सं0–HS25030130011 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक आवंटन आई0डी सं0–HS25030130011 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा रू0 5,66,38,761.00 (रू0 पांच करोड, छियासठ लाख, अड़तीस हजार, सात सौ इकसठ मात्र) को समर्पण किये जाने का निदेश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोक्त

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 20 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-31/Mar/2025 07:18 PM

IFMS Uttarakhand

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 31-03-2025 19:19:00

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secreatary Name-सचिव, शहरी विकास(S054)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - HS25030130011

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	01-वेतन	0	3593788	-3593788
2	02-मजदूरी	0	1340158	-1340158
3	03-महंगाई भत्ता	0	2606397	-2606397
4	04-यात्रा व्यय	0	11790507	-11790507
5	06-अन्य भत्ते	0	988430	-988430
6	07-मानदेय	0	1804887	-1804887
7	08-पारिश्रमिक	0	348364	-348364
8	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	43656	-43656
9	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	10757244	-10757244
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	156400	-156400
11	22-कार्यालय व्यय	0	1071560	-1071560
12	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	140535	-140535
13	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	103386	-103386
14	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	0	859281	-859281
15	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	334058	-334058
16	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	372264	-372264
17	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	13722732	-13722732
18	42-अन्य विभागीय व्यय	0	6605114	-6605114
	योग	0	56638761	-56638761

Total Current Surrender by HOD In Above Schemes - Rs. 5,66,38,761 (Rupees Five Crores Sixty Six Lacs Thirty Eight Thousand Seven Hundred Sixty One Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2503:0003

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0/न0),
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक : 4062/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 20/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–949 दिनांक 11.03.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार **मानक मद 29–गाडियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद में पूर्व के अतिरिक्त रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–4062/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-20/Mar/2025 12:20 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 20-03-2025 12:21:12

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-U S Nagar(7500)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130050

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 20-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	3500000	2000000	2541591	5500000
	योग	3500000	2000000	2541591	5500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 20,00,000 (Rupees Twenty Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0011

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी/
पंचास्थानि चुनावालय,
देहरादून।

पत्रांक : 4063/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 20/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून के पत्र संख्या–8195 दिनांक 19.03.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार **मानक मद 42–अन्य विभागीय व्यय में पूर्व के अतिरिक्त रू0 13.35 लाख (रू0 तेरह लाख पैतीस हजार मात्र)** आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–4063/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/

Print Date:-20/Mar/2025 12:19 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature Not Verified
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 20-03-2025 12:19:18

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Dehradun(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130051

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 20-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	6000000	1335000	4181638	7335000
	योग	6000000	1335000	4181638	7335000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 13,35,000 (Rupees Thirteen Lacs Thirty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961;2961:2503:0012

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पौडी गढवाल।

पत्रांक : 3989 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, पौडी गढवाल का पत्र संख्या–333 दिनांक 03.02.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 1.25 लाख (रू0 एक लाख, पच्चीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 3989 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढवाल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी गढ़वाल।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 12:04 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:05:35

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Garhwal(4200)
DDO-Officer Incharge Panchaisthani Election Pauri (2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130021

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	08-पारिश्रमिक	1238000	125000	1203680	1363000
	योग	1238000	125000	1203680	1363000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,25,000 (Rupees One Lac Twenty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0007

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/ईमेल/ऑफ

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चम्पावत।

पत्रांक : 3990 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–465 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 12.00 लाख (रू0 बारह लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3990 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 11:46 AM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 11:49:05

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Champawat(8800)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Champawat(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130022

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	900000	700000	899069	1600000
2	42-अन्य विभागीय व्यय	1200000	500000	1173479	1700000
	योग	2100000	1200000	2072548	3300000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 12,00,000 (Rupees Twelve Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0008

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
उत्तरकाशी।

पत्रांक : 3988 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी का पत्र संख्या–548 दिनांक 04.03.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 29.32 लाख (रू0 उनतीस लाख, बत्तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3988 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-11/Mar/2025 12:08 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:08:25

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Uttarkashi(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130020

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	1000000	2232000	244531	3232000
2	42-अन्य विभागीय व्यय	1500000	700000	1028368	2200000
	योग	2500000	2932000	1272899	5432000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 29,32,000 (Rupees Twenty Nine Lacs Thirty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0006

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

ई-मेल/स्पीड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
अल्मोड़ा।

पत्रांक : 3987/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–442 दिनांक 25.02.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 3987/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 02:17 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 14:19:59

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Almora(3700)
DDO-Officer Incharge Panchisthani ElectionAlmora(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130019

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**80**	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	**03**	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	800000	800000	142558	1600000
	योग	800000	800000	142558	1600000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 8,00,000 (Rupees Eight Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0005

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 4041 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 12/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से संलग्न अलाटमेंट आई0डी0–H25030130025 दिनांक 12.03.2025 के अनुसार 21–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में रू0 3.66 लाख (रू0 तीन लाख, छियासठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–4041 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण अधिकारी कोड संख्या 2961 में फीड कराने का कष्ट करें।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-12/Mar/2025 12:22 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 12-03-2025 12:25:54

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130025

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 12-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	366000	0	366000
	योग	0	366000	0	366000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,66,000 (Rupees Three Lacs Sixty Six Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0010

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : scc-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
देहरादून।

पत्रांक : 3986 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–8138 दिनांक 01.03.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 31.25 लाख (रू0 इकतीस लाख, पच्चीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3986 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 12:21 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:22:12

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Dehradun(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130018

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	3500000	3118000	1982198	6618000
2	08-पारिश्रमिक	1522000	7000	1404846	1529000
	योग	5022000	3125000	3387044	8147000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 31,25,000 (Rupees Thirty One Lacs Twenty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0004

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

इ-फाइल/स्पा0-पो.

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चमोली।

पत्रांक : 3985/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, चमोली का पत्र संख्या–759 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 14.64 लाख (रू0 चौदह लाख, चौंसठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3985/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 12:27 PM

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:28:08

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130017

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	2000000	350000	0	2350000
2	22-कार्यालय व्यय	100000	100000	86227	200000
3	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10000	14000	10000	24000
4	42-अन्य विभागीय व्यय	2600000	1000000	878134	3600000
	योग	4710000	1464000	974361	6174000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 14,64,000 (Rupees Fourteen Lacs Sixty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0003

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी।

पत्रांक : 3989/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी का पत्र संख्या–583 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 13.00 लाख (रू0 तेरह लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 3989/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 12:35 PM

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:36:35

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130016

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	**80**	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	**03**	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	2000000	1300000	0	3300000
	योग	2000000	1300000	0	3300000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 13,00,000 (Rupees Thirteen Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0002

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

ई-मेल/स्पोर्ट्स

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पिथौरागढ़।

पत्रांक : 3983/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–291 दिनांक 18.01.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 16.00 लाख (रू0 सौलह लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3983/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-11/Mar/2025 12:46 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 12:48:14

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Pithoragarh(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130015

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	1000000	600000	0	1600000
2	42-अन्य विभागीय व्यय	1000000	1000000	731135	2000000
	योग	2000000	1600000	731135	3600000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 16,00,000 (Rupees Sixteen Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0001

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

ई-मेल/स्पी०

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक : 3991/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 10/03/25

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, रूद्रप्रयाग का पत्र संख्या–481 दिनांक 28.02.2025 के क्रम में अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 2.25 लाख (रू0 दो लाख, पच्चीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या–3991/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/
मुख्य वित्त अधिकारी।

Print Date:-11/Mar/2025 11:35 AM

IFMS Uttarakhand

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 11-03-2025 11:37:30

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Rudraprayag(9000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Rudraprayag(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25030130023

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 11-MAR-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	1400000	225000	664278	1625000
	योग	1400000	225000	664278	1625000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,25,000 (Rupees Two Lacs Twenty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2503:0009

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

वीरेन्द्र रावत,
उप सचिव (लेखा)/मुख्य वित्त अधिकारी।

सेवा में,

समस्त प्रभारी अधिकारी/
आहरण वितरण अधिकारी
पंचास्थानि चुनावालय,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 3115 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक: 06.01.2025

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–26445 दिनांक 31.12.2024 अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03– नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि आयोग मुख्यालय/पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रू0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोड़ा	H25010130002	06-01-2025	115000
2.	ऊधमसिंह नगर	H25010130003	06-01-2025	11760000
3.	चम्पावत	H25010130004	06-01-2025	300000
4.	नैनीताल	H25010130005	06-01-2025	1000000
5.	बागेश्वर	H25010130006	06-01-2025	10000
6.	पिथौरागढ़	H25010130007	06-01-2025	290000
7.	उत्तरकाशी	H25010130008	06-01-2025	880000
8.	चमोली	H25010130009	06-01-2025	1180000
9.	रूद्रप्रयाग	H25010130010	06-01-2025	780000
10.	पौडी गढ़वाल	H25010130011	06-01-2025	1850000
11	टिहरी गढ़वाल	H25010130012	06-01-2025	3350000
12	हरिद्वार	H25010130014	06-01-2025	2860000
13	देहरादून	H25010130015	06-01-2025	6865000
14	आयोग मुख्यालय	H25010130013	06-01-2025	31200000
			योगः–	**62440000**

भवदीय,

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/मुख्य वित्त अधिकारी।

संख्या– 3115 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर कोषागार, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(वीरेन्द्र रावत)
उप सचिव (लेखा)/मुख्य वित्त अधिकारी।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:50 PM

Signature valid

Digitally signed by: Mr Virendra Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:50:50

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Almora(3700)
DDO-Officer Incharge Panchisthani ElectionAlmora(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130002

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	50000	25000	0	75000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	300000	50000	80066	350000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	1000000	40000	0	1040000
	योग	1350000	115000	80066	1465000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,15,000 (Rupees One Lac Fifteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0001

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:48 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:49:02

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-U S Nagar(7500)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130003

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	90000	60000	28000	150000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	1400000	3700000	1390144	5100000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	5000000	8000000	2028986	13000000
	योग	6490000	11760000	3447130	18250000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,17,60,000 (Rupees One Crore Seventeen Lacs Sixty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0002

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-06/Jan/2025 04:46 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:47:12

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Champawat(8800)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Champawat(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25010130004

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400000	100000	14150	500000
2	42-अन्य विभागीय व्यय	1000000	200000	7620	1200000
	योग	1400000	300000	21770	1700000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0003

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:44 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:45:01

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Nainital(3600)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130005

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	01	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	800000	1000000	669771	1800000
	योग	800000	1000000	669771	1800000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0004

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:42 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid

Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:43:04

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Bageshwar(8900)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Bageswar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25010130006

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	40000	10000	5400	50000
	योग	40000	10000	5400	50000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0005

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:40 PM

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approved
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:41:03

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Pithoragarh(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130007

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	70000	90000	0	160000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400000	200000	80193	600000
	योग	470000	290000	80193	760000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,90,000 (Rupees Two Lacs Ninety Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0006

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:37 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:37:46

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Uttarkashi(4100)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Uttarkashi(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130008

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	55000	80000	0	135000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400000	600000	130352	1000000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	1300000	200000	0	1500000
	योग	1755000	880000	130352	2635000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 8,80,000 (Rupees Eight Lacs Eighty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0007

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:35 PM

IFMS Uttarakhand

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:35:45

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Gopeshwar(4000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130009

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	90000	80000	18600	170000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	700000	500000	173700	1200000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	2000000	600000	823634	2600000
	योग	2790000	1180000	1015934	3970000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 11,80,000 (Rupees Eleven Lacs Eighty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0008

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:33 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Vir[illegible]r Rawat
Reason :HOD E-A[illegible]
Location: Cyber T[illegible]
Date and Time: 06-0[illegible]25 16:33:34

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Rudraprayag(9000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Rudraprayag(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25010130010

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

2217	शहरी विकास		
001	निदेशन एवं प्रशासन	80	सामान्य
00	नगर पंचायतों का चुनाव	03	नगर पंचायतों का चुनाव

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	50000	80000	0	130000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400000	300000	91070	700000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	1000000	400000	0	1400000
	योग	1450000	780000	91070	2230000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 7,80,000 (Rupees Seven Lacs Eighty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0009

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:31 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:31:25

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Garhwal(4200)

DDO-Officer Incharge Panchaisthani Election Pauri (2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130011

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	80000	150000	31000	230000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	600000	200000	22800	800000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	2500000	1500000	218128	4000000
	योग	3180000	1850000	271928	5030000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 18,50,000 (Rupees Eighteen Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0010

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:28 PM

IFMS Uttarakhand

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:28:47

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130012

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	90000	150000	12320	240000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	400000	1700000	374248	2100000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	2500000	1500000	42983	4000000
	योग	2990000	3350000	429551	6340000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 33,50,000 (Rupees Thirty Three Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0011

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:22 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:22:28

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Haridwar(6500)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Haridwar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130014

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	90000	60000	0	150000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	700000	1300000	629595	2000000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	2500000	1500000	105600	4000000
	योग	3290000	2860000	735195	6150000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 28,60,000 (Rupees Twenty Eight Lacs Sixty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0013

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:18 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:18:41

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Dehradun(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H25010130015

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	90000	215000	63200	305000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	700000	4150000	653406	4850000
3	42-अन्य विभागीय व्यय	3500000	2500000	240582	6000000
	योग	4290000	6865000	957188	11155000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 68,65,000 (Rupees Sixty Eight Lacs Sixty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0014

Approval Status : e-Sign letter

Uttarakhand

IFMS Uttarakhand

Print Date:-06/Jan/2025 04:25 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Signature valid
Digitally signed by: Mr Virender Rawat
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 06-01-2025 16:25:57

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25010130013

आवंटन पत्र दिनांक - 06-JAN-2025

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	22500000	31200000	1714321	53700000
	योग	22500000	31200000	1714321	53700000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 3,12,00,000 (Rupees Three Crores Twelve Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2501:0012

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand

ई-मेल/स्पीडपोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
अल्मोड़ा।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0–ले0 / 4142 / 2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 38.75 लाख (रू0 अड़तीस लाख, पिचहत्तर हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, अल्मोड़ा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 11:22 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:22:51

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Almora(3700)
DDO-Officer Incharge Panchisthani ElectionAlmora(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130007

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	50000	0	50000
2	04-यात्रा व्यय	0	700000	0	700000
3	07-मानदेय	0	800000	0	800000
4	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	10000	0	10000
5	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	300000	0	300000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	400000	0	400000
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
9	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
10	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	25000	0	25000
11	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	400000	0	400000
12	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1000000	0	1000000
	योग	0	3875000	0	3875000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 38,75,000 (Rupees Thirty Eight Lacs Seventy Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0001

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल / सार्वजनिक

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 177.50 लाख (रू0 एक करोड़, सतहत्तर लाख, पचास हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगरा।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:21 PM

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemchandra Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:21:41

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130008

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2 2 1 7 8 . 0 0 0 1 0 3 0 0 — Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	90000	0	90000
2	04-यात्रा व्यय	0	4000000	0	4000000
3	07-मानदेय	0	3500000	0	3500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	1400000	0	1400000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	30000	0	30000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
10	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	3500000	0	3500000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	5000000	0	5000000
	योग	0	17750000	0	17750000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,77,50,000 (Rupees One Crore Seventy Seven Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0002

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचारथानि चुनावालय,
चम्पावत।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0-ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः-- **वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 47.74 लाख (रू0 सैंतालिस लाख, चौहत्तर हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 178/रा0नि0आ0-लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:20 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemchendra Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:20:25

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Champawat(8800)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Champawat(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24050130009

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	50000	0	50000
2	04-यात्रा व्यय	0	900000	0	900000
3	07-मानदेय	0	900000	0	900000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	0	4000	0	4000
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
9	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
10	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1300000	0	1300000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1000000	0	1000000
	योग	0	4774000	0	4774000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 47,74,000 (Rupees Forty Seven Lacs Seventy Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0003

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
नैनीताल।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0-ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 130.50 लाख (रू0 एक करोड़, तीस लाख, पचास हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 178/रा0नि0आ0-लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:19 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:19:28

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Nainital(3600)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130010

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	50000	0	50000
2	04-यात्रा व्यय	0	3500000	0	3500000
3	07-मानदेय	0	3500000	0	3500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	800000	0	800000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	10000	0	10000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
9	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2000000	0	2000000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3000000	0	3000000
	योग	0	13050000	0	13050000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,30,50,000 (Rupees One Crore Thirty Lacs Fifty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0004

Approval Status : e-Sign letter

ईमेल/स्पीडपोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
बागेश्वर।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 32.20 लाख (रू0 बत्तीस लाख, बीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:18 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:18:28

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Bageshwar(8900)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Bageswar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24050130011

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	40000	0	40000
2	04-यात्रा व्यय	0	500000	0	500000
3	07-मानदेय	0	700000	0	700000
4	11-अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	0	10000	0	10000
5	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	300000	0	300000
6	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
7	22-कार्यालय व्यय	0	50000	0	50000
8	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
9	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
10	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	500000	0	500000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1000000	0	1000000
	योग	0	3220000	0	3220000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 32,20,000 (Rupees Thirty Two Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0005

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
पिथौरागढ़।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.005.2024

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 38.30 लाख (रू0 अड़तीस लाख, तीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या–178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 11:17 PM

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemchandera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:17:25

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Pithoragarh(3800)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Pithoragarh(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130012

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	70000	0	70000
2	04-यात्रा व्यय	0	600000	0	600000
3	07-मानदेय	0	1000000	0	1000000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	40000	0	40000
10	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	500000	0	500000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1000000	0	1000000
	योग	0	3830000	0	3830000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 38,30,000 (Rupees Thirty Eight Lacs Thirty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0006

Approval Status : e-Sign letter

इमेल/स्पीडपोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
उत्तरकाशी।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 48.45 लाख (रू0 अड़तालिस लाख, पैंतालिस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 11:15 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:15:47

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Uttarkashi(4100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Uttarkashi(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

आवंटन आई डी - H24050130013

लेखा शीर्षक -

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

2217	शहरी विकास		
001	निदेशन एवं प्रशासन	80	सामान्य
00	नगर पंचायतों का चुनाव	03	नगर पंचायतों का चुनाव

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	55000	0	55000
2	04-यात्रा व्यय	0	900000	0	900000
3	07-मानदेय	0	1000000	0	1000000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
7	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	40000	0	40000
8	29-गाड़ियों का सञ्चालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1000000	0	1000000
9	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1300000	0	1300000
	योग	0	4845000	0	4845000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 48,45,000 (Rupees Forty Eight Lacs Forty Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0007

Approval Status : e-Sign letter

ईमेल/स्पीड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।
दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
चमोली।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 77.20 लाख (रू0 सतहत्तर लाख, बीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक– यथोक्त।</u>

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

<u>संख्या–178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:14 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:14:49

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Gopeshwar(4000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130014

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	90000	0	90000
2	04-यात्रा व्यय	0	1200000	0	1200000
3	07-मानदेय	0	2000000	0	2000000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	700000	0	700000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	10000	0	10000
10	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1500000	0	1500000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2000000	0	2000000
	योग	0	7720000	0	7720000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 77,20,000 (Rupees Seventy Seven Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0008

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचारथानि चुनावालय,
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 55.00 लाख (रू0 पचपन लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, रूद्रप्रयाग।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 11:12 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:12:20

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Rudraprayag(9000)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Rudraprayag(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130015

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	50000	0	50000
2	04-यात्रा व्यय	0	800000	0	800000
3	07-मानदेय	0	1700000	0	1700000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
9	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	30000	0	30000
10	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1300000	0	1300000
11	42-अन्य विभागीय व्यय	0	1000000	0	1000000
	योग	0	5500000	0	5500000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 55,00,000 (Rupees Fifty Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0009

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचारथानि चुनावालय,
पौड़ी गढ़वाल।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 97.00 लाख (रू0 सत्तानबे लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या–178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 11:07 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemchandera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 23:07:24

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Garhwal(4200)

DDO-Officer Incharge Panchaisthani Election Pauri (2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24050130016

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	80000	0	80000
2	04-यात्रा व्यय	0	2000000	0	2000000
3	07-मानदेय	0	2500000	0	2500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	600000	0	600000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	30000	0	30000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
9	29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	1800000	0	1800000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2500000	0	2500000
	योग	0	9700000	0	9700000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 97,00,000 (Rupees Ninety Seven Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0010

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्पी-प्र०

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
टिहरी।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 101.80 लाख (रू0 एक करोड़, एक लाख, अस्सी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 10:40 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemchndera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 22:41:02

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-New Tehri(6100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

अनुदान संख्या - 013

लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H24050130017

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	90000	0	90000
2	04-यात्रा व्यय	0	1500000	0	1500000
3	07-मानदेय	0	2000000	0	2000000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	400000	0	400000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	24-विज्ञापन, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
7	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
8	29-गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	3500000	0	3500000
9	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2500000	0	2500000
	योग	0	10180000	0	10180000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,01,80,000 (Rupees One Crore One Lac Eighty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0011

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
हरिद्वार।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 125.15 लाख (रू0 एक करोड़, पच्चीस लाख, पंद्रह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 (छायाप्रति संलग्न) एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178 /रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 10:38 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 22:38:45

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)

Treasury-Haridwar(6500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Haridwar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130018

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	90000	0	90000
2	04-यात्रा व्यय	0	3500000	0	3500000
3	07-मानदेय	0	3500000	0	3500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	700000	0	700000
5	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	25000	0	25000
6	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
7	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
8	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
9	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2000000	0	2000000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2500000	0	2500000
	योग	0	12515000	0	12515000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,25,15,000 (Rupees One Crore Twenty Five Lacs Fifteen Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0012

Approval Status : e-Sign letter

ई-मेल/स्वीकृत

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
पंचास्थानि चुनावालय,
देहरादून।

पत्रांक : 178 /रा0नि0आ0-ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 150.30 लाख (रू0 एक करोड़, पचास लाख, तीस हजार मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 178/रा0नि0आ0-लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

Print Date:-08/May/2024 10:31 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2024-2025)

Validity unknown

Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 22:31:57

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Dehradun(2962)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130019

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	02-मजदूरी	0	90000	0	90000
2	04-यात्रा व्यय	0	3500000	0	3500000
3	07-मानदेय	0	3500000	0	3500000
4	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	700000	0	700000
5	22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
6	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	50000	0	50000
7	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	40000	0	40000
8	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	50000	0	50000
9	29-गाडियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	3500000	0	3500000
10	42-अन्य विभागीय व्यय	0	3500000	0	3500000
	योग	0	15030000	0	15030000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,50,30,000 (Rupees One Crore Fifty Lacs Thirty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0013

Approval Status : e-Sign letter

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

उपायुक्त/
आहरण वितरण अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 178/रा0नि0आ0–ले0/4142/2023 दिनांक 08.05.2024

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु लेखाशीर्षक–2217–80–001–03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शहरी विकास, अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 द्वारा अनुदान संख्या–13, लेखा शीर्षक–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से विभिन्न मानक मदों में संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार रू0 289.00 लाख (रू0 दो करोड़, नवासी लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–206211 दिनांक 23.04.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं वित्त हस्तपुस्तिकाओं में दिये गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। क्रय के सम्बन्ध में मितव्ययता बरती जाए एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के प्राविधानों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

संख्या– 178/रा0नि0आ0–लेखा/4142/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून को को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अलॉटमेंट आई0डी0 को राज्य निर्वाचन आयोग के आहरण वितरण अधिकारी कोड संख्या 2961 में फीड कराने का कष्ट करें।

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक।

IFMS
Uttarakhand

Print Date:-08/May/2024 10:29 PM

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Hemendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2024 22:30:12

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - H24050130020

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2024

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	सामान्य
001	निदेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	07-मानदेय	0	3000000	0	3000000
2	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	22500000	0	22500000
3	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	200000	0	200000
4	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	500000	0	500000
5	42-अन्य विभागीय व्यय	0	2700000	0	2700000
	योग	0	28900000	0	28900000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,89,00,000 (Rupees Two Crores Eighty Nine Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2405:0014

Approval Status : e-Sign letter

तत्काल/निर्वाचन आवश्यक/ई-मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

राहुल कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (न0नि0)
उत्तराखण्ड।

संख्या- 188/रा0नि0आ0-3/1260/2023 दिनांक 08 मई, 2024

विषयः-राज्य की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् एवं नगर निगम की मतदाता सूचियों में कई मतदाताओं के नाम न होने तथा अन्य त्रुटियों का सुधार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-118/रा0नि0आ0-3/1620/2023 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा समस्त नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में 07 दिन के लिए विशेष शिविर का आयोजन कर उत्तर प्रदेश नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्रस्तर-4 एवं प्रस्तर-5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ 15 दिन के अन्तर्गत आयोग को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस संबंध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अभियान की अवधि 05 दिन और आगे बढ़ाते हुए आयोग के उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ 15 दिन के स्थान पर 20 दिन के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तानुसार।

भवदीय,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव।

संख्या:- /रा0नि0आ0-3/1260/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- श्री आदित्य कोठारी, प्रदेश महामंत्री/कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड, कार्यालय-39/29/3, बलवीर रोड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 08 मई, 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 337/रा0नि0आ0-3/1260/2023 देहरादूनः दिनांक 05 जून, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः-194242/IV-3/2023-1(06निर्वा0)2022 दिनांक 28 फरवरी, 2024 एवं अधिसूचना संख्या-211598/IV(3)/2024-11(03 निर्वा0)/2022 दिनांक 16 मई, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में भारत का संविधान के **अनुच्छेद 243-य क** के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख-में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य की **नगर पालिका परिषद, नरेन्द्र नगर, नगर पंचायत, कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढवाल, नगर पालिका परिषद, रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग एवं नगर पालिका परिषद हरबर्टपुर, जनपद देहरादून** की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा :-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)1- नगर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना	10.06.2024 से 12.06.2024 तक	03 दिन
2- प्रशिक्षण अवधि	13.06.2024	01 दिन
(ख)- संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	14.06.2024 से 28.06.2024 तक	15 दिन
(ग)- प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	29.06.2024 से 01.07.2024 तक	03 दिन
(घ)- प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	02.07.2027 से 21.07.2024 तक	20 दिन
(ङ)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	22.07.2024	--
(च)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	23.07.2024 से 29.07.2024 तक	07 दिन
(छ)- दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	30.07.2024 से 01.08.2024 तक	03 दिन
(ज)- पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	02.08.2024 से 08.08.2024 तक	07 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.08.2024	--

कमशः :....2

6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचायस्थानि चुनावालय, टिहरी गढवाल, रूद्रप्रयाग एवं देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 356/रा0नि0आ0-3/1260/2023 दिनांक 08 जून, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-216673/IV-3/2023-1(न0नि0)2022 दिनांक 07 जून, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में भारत का संविधान के **अनुच्छेद 243-य क** के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख-में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य की **नगर पालिका परिषद, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर** की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा :-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)1- नगर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना	11.06.2024 से 13.06.2024 तक	03 दिन
2- प्रशिक्षण अवधि	14.06.2024	01 दिन
(ख)- संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	15.06.2024 से 29.06.2024 तक	15 दिन
(ग)- प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	30.06.2024 से 02.07.2024 तक	03 दिन
(घ)- प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	03.07.2024 से 22.07.2024 तक	20 दिन
(ङ)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	23.07.2024	--
(च)- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	24.07.2024 से 30.07.2024 तक	07 दिन
(छ)- दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	31.07.2024 से 02.08.2024 तक	03 दिन
(ज)- पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	03.08.2024 से 08.08.2024 तक	06 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.08.2024	--

क्रमशः....2

6. आयुक्त, कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंहनगर।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 357/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 08 जून, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–216673/IV-3/2023-1(न0नि0)2022 दिनांक 07 जून, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में भारत का संविधान के **अनुच्छेद 243–य क** के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 35 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **जनपद हरिद्वार की नगर निगम, रूड़की** की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:–

कार्यकम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)1– नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना	11.06.2024 से 13.06.2024 तक	03 दिन
2– प्रशिक्षण अवधि	14.06.2024	01 दिन
(ख)– संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	15.06.2024 से 29.06.2024 तक	15 दिन
(ग)– प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	30.06.2024 से 02.07.2024 तक	03 दिन
(घ)– प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	03.07.2024 से 22.07.2024 तक	20 दिन
(ङ)– निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	23.07.2024	—
(च)– निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य के निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	24.07.2024 से 30.07.2024 तक	07 दिन
(छ)– दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	31.07.2024 से 02.08.2024 तक	03 दिन
(ज)– पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	03.08.2024 से 08.08.2024 तक	06 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	09.08.2024	—

क्रमश.....2

6. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135--2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 750 /रा0नि0आ0--3/1260/2023 दिनांक 03 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या--231060/IV(3)/2024-11 (02 निर्वा0)/2022 दिनांक 09 अगस्त, 2024, अधिसूचना संख्या--231063/IV(3)/2024-1(08 निर्वा0)/2021 दिनांक 09 अगस्त, 2024, एवं अधिसूचना संख्या--1045/IV(3)/2024-11(02 निर्वा0)/2022 दिनांक 16 अगस्त, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243--य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख--में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड राज्य की नवसृजित नगर पंचायत, गुप्तकाशी जनपद रूद्रप्रयाग, नगर पंचायत, नन्दानगर घाट जनपद चमोली एवं नगर पंचायत, मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि निम्नांकित समय सारणी के अनुसार यह पुनरीक्षण किया जायेगा:--

कार्यकम	अवधि	दिनों की संख्या
(क)1-- नागर निकायवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणकों, पर्यवेक्षकों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि की नियुक्ति तथा कार्यक्षेत्र आवंटन एवं तदसंबंधी जानकारी प्राप्त करना	09.09.2024 से 11.09.2024 तक	03 दिन
2-- प्रशिक्षण अवधि	12.09.2024	01 दिन
(ख)-- संगणक द्वारा घर--घर जाकर गणना और सर्वेक्षण की अवधि	13.09.2024 से 27.09.2024 तक	15 दिन
(ग)-- प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना	28.09.2024 से 30.09.2024 तक	03 दिन
(घ)-- प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	01.10.2024 से 18.10.2024 तक	18 दिन
(ङ)-- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	19.10.2024	--
(च)-- निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण तथा दावे/आपत्ति दाखिल करने की अवधि	21.10.2024 से 27.10.2024 तक	07 दिन
(छ)-- दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण की अवधि	28.10.2024 से 30.10.2024 तक	03 दिन
(ज)-- पूरक सूचियों की डाटा एन्ट्री/फोटो स्टेट	31.10.2024 से 07.11.2024 तक	08 दिन
(झ) निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	08.11.2024	--

कमश :....2

2. तद्नुसार जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नागर निकाय) जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़ द्वारा अपने जिले की उक्त सन्दर्भित निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश–पुस्तिका के अध्याय–3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी लाये जायें कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय--वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम--20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024** निर्धारित करते हुए ही नगर **नगर पंचायत, गुप्तकाशी जनपद रूद्रप्रयाग, नगर पंचायत, नन्दानगर घाट, जनपद चमोली एवं नगर पंचायत, मुनस्यारी जनपद पिथौरागढ** की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में संम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 750 /रा0नि0आ0–3/1260/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–1--जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर निकाय), रूद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–जिला निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, (नागर निकाय)/अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यकमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

6. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल एवं आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचारस्थानि चुनावालय, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं पिथौरागढ़।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 753 / रा0नि0आ0-3 / 1260 / 2023 दिनांक 03 सितम्बर,2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1031 / IV(3)/2024-11 (01निर्वा0)/2023 दिनांक 01 सितम्बर, 2024, अधिसूचना संख्या-1132 / IV(3)/2024-11(01निर्वा0)/2023 दिनांक 01 सितम्बर, 2024 एवं अधिसूचना संख्या-1133 / IV(3)/2024-11(01निर्वा0)/2023 दिनांक 01 सितम्बर, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में भारत का संविधान के **अनुच्छेद 243-य क** के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 35 एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **नगर निगम, देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़** की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ। इस पुनरीक्षण में नगर निगम, देहरादून की प्रचलित निर्वाचक नामावलियों को वार्डो के पुनर्परिसीमन के अनुसार तथा नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ की प्रचलित निर्वाचक नामावलियों को नगर निगम, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के वार्डो के परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित करते हुए निम्न कार्यक्रमानुसार अद्यतन किया जायेगा:-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
1- पूर्व में बनायी गयी निर्वाचक नामावलियों से नये परिसीमन के अनुसार वार्डवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली को व्यवस्थित करना।	05.09.2024 से 14.09.2024 तक	10 दिन
2-व्यवस्थित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार मतदाताओं को साफ्टवेयर पर वार्ड वार शिफ्ट करना एवं फोटो स्टेट।	15.09.2024 से 24.09.2024 तक	10 दिन
3-मुद्रित निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	25.09.2024	--
4-निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण तथा दावे / आपित्तियाँ प्राप्त करना।	26.09.2024 से 03.10.2024 तक (02.10.2024 गॉधी जंयती अवकाश को छोड़कर)	07 दिन
5- दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण	04.10.2024 से 06.10.2024 तक	03 दिन
6- पूरक सूचियों की तैयारी / डाटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट।	07.10.2024 से 09.10.2024 तक	03 दिन
7-निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	10.10.2024	--

कमशः 2

2. तदनुसार जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय) जनपद देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ द्वारा अपने जिले की उक्त सन्दर्भित निकाय की मतदाता सूचियों के व्यवस्थित किये जाने विषयक कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार--प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश--पुस्तिका के अध्याय--3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी लाये जायें कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय--वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम--20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024** निर्धारित करते हुए राज्य के **नगर निगम, देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़** की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 753/रा0नि0आ0--3/1260/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि--1--जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर निकाय), देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2--जिला निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, (नागर निकाय)/अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यकमानुसार निर्वाचक नामावलियों को व्यवस्थित करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल एवं आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी गढवाल।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कमश :.....3

8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचायतनि चुनावालय, देहरादून, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 767 / रा0नि0आ0-3 / 1260 / 2023 दिनांक 4 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1037 / IV-3/2024-11(03निर्वा0)2022 दिनांक 15 अगस्त, 2024, अधिसूचना संख्या-1158 / IV(3)/2024-11(03निर्वा0) 2022 दिनांक 03 सितम्बर, 2024, अधिसूचना संख्या-1159 / IV(3)/2024-11(03निर्वा0)2022 दिनांक 03 सितम्बर, 2024, अधिसूचना संख्या-1156 / IV(3)/2024-11(03निर्वा0)2022 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 एवं अधिसूचना संख्या-1157 / IV(3)/2024-11(03निर्वा0)2022 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख-एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद्, खटीमा, नगला एवं किच्छा जनपद ऊधमसिंहनगर, नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग जनपद चमोली एवं नगर पालिका परिषद्, रामनगर जनपद नैनीताल की निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ। इस पुनरीक्षण में नगर पालिका परिषद्, खटीमा एवं रामनगर में सम्मिलित किये गये नये क्षेत्र में विशेष पुनरीक्षण एवं नगर पालिका परिषद्, नगला, किच्छा एवं कर्णप्रयाग की प्रचलित निर्वाचक नामावलियों को वार्डो के पुनर्परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित करते हुए निम्न कार्यक्रमानुसार अद्यतन किया जायेगा:-

कार्यक्रम	अवधि	दिनों की संख्या
1	2	3
1-(क) पूर्व में बनायी गयी निर्वाचक नामावलियों से नये परिसीमन के अनुसार वार्डवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली को व्यवस्थित करना, तथा (ख) नगर पालिका परिषद्, खटीमा एवं रामनगर में सम्मिलित किये गये नये क्षेत्र में घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण।	09.09.2024 से 18.09.2024 तक	10 दिन
2-(क)व्यवस्थित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार मतदाताओं को साफ्टवेयर पर वार्ड वार शिफ्ट करना एवं फोटो स्टेट, तथा (ख) नगर पालिका परिषद्, खटीमा एवं रामनगर में सम्मिलित किये गये नये क्षेत्र की प्रारूप नामावली की पाण्डुलिपि तैयार करना, डाटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट करना।	19.09.2024 से 29.09.2024 तक	11 दिन

क्रमश :....2

1	2	3
3–मुद्रित निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	30.09.2024	—
4–निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण तथा दावे/आपित्तयॉ प्राप्त करना।	01.10.2024 से 08.10.2024 तक (02.10.2024 गॉधी जंयती अवकाश को छोड़कर)	07 दिन
5– दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण	09.10.2024 से 11.10.2024 तक	03 दिन
6– पूरक सूचियों की तैयारी/डाटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट।	13.10.2024 से 15.10.2024 तक	03 दिन
7–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	16.10.2024	—

2. तद्नुसार जिलों के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नागर निकाय) जनपद ऊधमसिंहनगर चमोली एवं नैनीताल द्वारा अपने जिले की उक्त सन्दर्भित निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पटटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश–पुस्तिका के अध्याय–3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी लाये जायें कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय–वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम–20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2024** निर्धारित करते हुए ही राज्य के **नगर पालिका परिषद्, खटीमा, नगला एवं किच्छा जनपद ऊधमसिंहनगर, नगर पालिका परिषद्, कर्णप्रयाग जनपद चमोली एवं नगर पालिका परिषद्, रामनगर जनपद नैनीताल** की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

क्रमश :....3

संख्या 767/रा0नि0आ0-3/1260/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि--1--जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर निकाय), ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2--जिला निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, (नागर निकाय)/अपर जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं नैनीताल को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, ऊधमसिंहनगर, चमोली एवं नैनीताल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
11. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव

शीर्ष प्राथमिकता/निर्वाचन आवश्यक/
ई–मेल

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0),
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः–1450/रा0नि0आ0–3/1260 (1)/2023 दिनांक 4-दिसम्बर, 2024

विषयः–नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

1. कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2024 को सम्पन्न कराये जाने हेतु आयोग की अधिसूचना संख्या–679/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023, अधिसूचना संख्या–680/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 26 अक्टूबर, 2023, अधिसूचना संख्या–337/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 05 जून, 2024, अधिसूचना संख्या–356/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 08 जून, 2024, अधिसूचना संख्या–357/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 08 जून, 2024 एवं अधिसूचना संख्या–750/रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 03 सितम्बर, 2024 के द्वारा राज्य की समस्त निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया गया था जिसमें पुनरीक्षण हेतु सन्दर्भित तिथि 01 जनवरी, 2024 निर्धारित करते हुए उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क तथा नगर निकाय की विभिन्न निर्वाचक नामवलियों में की गयी व्यवस्था अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वह निर्वाचक नामावलियों में निरन्तर परिवर्धन, अपमार्जन एवं सुधार कर सकता है।

2. उक्त कम में अवगत कराना है कि प्रसंगरत निर्वाचन में मतदान की तिथि वर्ष–2025 में सम्पन्न होना सम्भावित होने के कारण राज्य की समस्त नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किये जाने चाहिए जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। वर्तमान में निर्वाचक नामवली में परिवर्धन/संशोधन/विलोपन मतदाता हेतु अनुमन्य है एवं यह प्रकिया नामांकन की अन्तिम तिथि तक गतिमान रहेगी।

अतः इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की समस्त नागर स्थानीय निकायों में विशेष अभियान चलाकर संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में उन सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम

क्रमशः.....2

सम्मिलित किये जाय जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। इस संबंध में संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार--प्रसार कराया जाए तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित निकायों के कार्यालयों, तहसील कार्यालय एवं निकाय में स्थित अन्य कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी उक्त जानकारी प्रकाशित कराई जाए।

3. यह कार्य विशेष अभियान चलाकर निम्नानुसार पूर्ण करवाया जाए :--

(i) वर्तमान निर्वाचन नामावली का प्रकाशन हो चुका है तथापि नगर निकाय, तहसील तथा जनपद मुख्यालय पर जन--मानस हेतु उपलब्ध रहे। निर्वाचक नामावली आयोग की वेबसाइट sec.uk.gov.in पर उपलब्ध कराये गए लिंक एवं secvoter.uk.gov.in पर भी दिनांक 05.12.2024 से उपलब्ध रहेगी।

(ii) मतदाता का नाम सम्मिलित किये जाने हेतु प्रपत्र--1--क पर्याप्त संख्या में नगर निकाय, तहसील मुख्यालय तथा जनपद के निर्वाचन कार्यालय पर उपलब्ध रहें। इसी प्रकार अन्य प्रपत्र--1--ख नाम संशोधन हेतु एवं प्रपत्र--1--ग, प्रपत्र--1--घ नाम विलोपन हेतु भी उपलब्ध करवाए जाएं। जिसका व्यापक प्रचार--प्रसार हो।

(iii) संगणक/कर्मचारी दिनांक 8, 9 व 10 दिसम्बर को मतदान स्थल/मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहकर प्रपत्र उपलब्ध करवाएं तथा पूर्ण/भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करें।

(iv) उक्त भरे हुए/पूर्ण प्रपत्र नगर निकाय, तहसील तथा जनपद में भी प्राप्त किए जाएं।

(v) सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी परिवर्धन/संशोधन/अपमार्जन सूची तैयार कर प्रस्ताव जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से शीघ्र अति शीघ्र आयोग के अनुमोदनार्थ उपलब्ध करवाएं।

4. इस अभियान हेतु प्रचार--प्रसार तथा अन्य मदों में बजट पृथक से अनुमन्य किया जाए।

समस्त कार्यवाही 15 दिसम्बर तक पूर्ण कर ली जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्याः-- 1450 /रा0नि0आ0--3/1260 (1)/2023 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. समस्त जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (न0नि0), उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 2065 /रा0नि0आ0–3/1260/2023 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–1567/IV(3)/2024-11(03निर्वा0) 2022 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के द्वारा प्राप्त परिसीमन के कम में भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–य क के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) की धारा 12 ख–एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम–18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी गढवाल** की निर्वाचक नामावलियों के **विशेष पुनरीक्षण** हेतु मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ। इस पुनरीक्षण में **नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर के वार्डो** की प्रचलित निर्वाचक नामावलियों को पुनर्परिसीमन के अनुसार व्यवस्थित करते हुए निम्न कार्यकमानुसार अद्यतन किया जायेगा:–

कार्यकम	अवधि	दिनों की संख्या
1	2	3
1– पूर्व में बनायी गयी निर्वाचक नामावलियों से नये परिसीमन के अनुसार वार्डवार मतदाताओं को चिन्हित कर नामावली को व्यवस्थित करना।	02.01.2025	01 दिन
2–व्यवस्थित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार मतदाताओं को साफ्टवेयर पर वार्डवार शिफ्ट करना एवं फोटो स्टेट।	03.01.2025	01 दिन
3– निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन	04.01.2025	--
4–निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का निरीक्षण तथा दावे/आपित्तयॉ प्राप्त करना।	05.01.2025 से 11.01.2025 तक	07 दिन
5– दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण	12.01.2025 से 13.01.2025 तक	02 दिन
6– पूरक सूचियों की तैयारी/डाटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट।	14.01.2025 से 15.01.2025 तक	02 दिन
7–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	16.01.2025	--

क्रमशः................2

2. तद्नुसार जिले के जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर निकाय), जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नागर निकाय) जनपद टिहरी गढवाल द्वारा अपने जिले की उक्त सन्दर्भित निकाय की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार--प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे तथा मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की निर्देश--पुस्तिका के अध्याय--3 में उल्लिखित संबंधित कार्यालयों के सूचनापटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे। सर्वसाधारण की जानकारी में यह तथ्य भी लाये जायें कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को इस प्रतिबन्ध के साथ ग्राह्य होगी कि अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय--वस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का लाभ उठाया है और यह अपील उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के नियम--20 (1) (2) के अधीन दायर की गयी है।

3. उपर्युक्त पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2025** निर्धारित करते हुए ही राज्य के **नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढवाल** की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किये जायेंगे जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। विशेष पुनरीक्षण के पश्चात् तैयार निर्वाचक नामावलियां ही आगामी सामान्य/उप निर्वाचन में प्रयुक्त की जायेंगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 2065/रा0नि0आ0--3/1260/2023 तद्दिनांक। (ई--मेल)

प्रतिलिपि--1--जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर निकाय), टिहरी गढवाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2--जिला निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी, (नागर निकाय)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त कार्यक्रमानुसार निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

3. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।

क्रमश........3

11. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढवाल
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी /दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
13. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर इसकी 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(ना0नि0)
उत्तराखण्ड।

संख्याः– 1388 /रा0नि0आ0–3/2763/2019 दिनांकः 25 नवम्बर, 2024

विषयः–नगर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–928/रा0नि0आ0–3/1258/2011 दिनांक 31.01.2018 को अवक्रमित करते हुए आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के नगर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले विभिन्न पदों के उम्मीदवारों के संबंध में नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि एवं व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र0 सं0	पदनाम/ उम्मीदवार	नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य		जमानत की धनराशि		निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा (रू0)
		सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए (रू0)	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ महिला उम्मीदवारों के लिए (रू0)	
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर प्रमुख, नगर निगम	800	400	12,000	6,000	20,00,000 (40 वार्ड तक) 25,00,000 (41 से 60 वार्ड तक) 30,00,000 (61 वार्ड एवं इससे अधिक)
2	उप नगर प्रमुख,नगर निगम	400	200	5,000	2,500	2,00,000

क्रमश................2

3	सभासद, नगर निगम	400	200	4,000	2,000	3,00,000
4	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद	500	250	6,000	3,000	6,00,000 (10 वार्ड तक) 8,00,000 (10 वार्ड से अधिक)
5	सदस्य, नगर पालिका परिषद	200	100	1,500	750	80,000
6	अध्यक्ष, नगर पंचायत	200	100	3,000	1,500	3,00,000
7	सदस्य, नगर पंचायत	100	50	600	300	50,000

भवदीय,

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 1388 / रा0नि0आ0–3 / 2763 / 2019 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल एवं गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर जिलाधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तराखण्ड।
9. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
12. निदेशक, दूरदर्शन / आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
13. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
14. समस्त अधिकारी / अनुभाग राज्य निर्वाचन आयोग।
15. आयोग के सूचना पट्‌ट पर रखने हेतु।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1688 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर,2024

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथा संशोधित एवं यथाप्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1540/IV(3)/2024-11(03निर्वा0)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के क्रम में एतद्द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के **नगर निगम** देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार, श्रीनगर, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ के **नगर प्रमुखों एवं सभासदों** का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय-सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तदनुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रकिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
27 दिसम्बर, 2024 से 30 दिसम्बर, 2024 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न) 05:00 बजे तक)	31 दिसम्बर, 2024 से 01 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	03 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	23 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	25 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ सम्बन्धित नगर निगमों के

क्रमशः............2

पद/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 24.12.024 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय के नगर निगम की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगर निगमों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय के नगर निगम की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नगर निगमों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये संबंधित नगर निगमों के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने नगर निगम क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या– 1688 /रा0नि0आ0–3/1379/2013 (2024)तददिनांक।(ई–मेल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस **दिनांक 23.01.2025** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।

क्रमशः.........3

8. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तराखण्ड।
13. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 23.12.2024 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
21. गार्ड फाईल।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या:- 1689/रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1541/IV(3)/2024-11(03निर्वा0)/2024 दिनांक 23 दिसम्बर, 2024 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य के समस्त जनपदों की नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों **(नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी एवं गढीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, किच्छा, नरेन्द्रनगर को छोड़कर)** के अध्यक्षों तथा उनके सदस्यों का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय-सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढशलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तदनुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
27 दिसम्बर, 2024 से 30 दिसम्बर, 2024 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	31 दिसम्बर, 2024 से 01 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	02 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	03 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	23 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न05:00 बजे तक)	25 जनवरी, 2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्रमश..........2

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के पद/स्थानों पर सामान्य निर्वाचन–2024–25 हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना **दिनांक 24.12.2024** को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

6. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहित किये गये समस्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेगें तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर भी सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्याः– 1689 /रा0नि0आ0–3/1379/2013 (2024)तददिनांक।(मेल)</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमश..........3

7. सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नगर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्धनिकायों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस **दिनांक 23.01.2025** को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
8. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
12. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), उत्तराखण्ड।
13. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को **दिनांक 23.12.2024** के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
21. गार्ड फाईल।

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1690 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024) दिनांक 23 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 243 यक एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों **(नगर पंचायत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, पाटी, गढ़ीनेगी तथा नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर एवं किच्छा को छोड़कर)** में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2024-25 की अधिसूचना जारी होने की तिथि से से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचरण संहिता लागू करने की घोषणा करता हूं।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

संख्या- 1690 /रा0नि0आ0-3/1379/2013 (2024)तद्दिनांक।(मेल)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन,
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी /कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड।